**<u>भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ</u>**

**फा.सं. 6/17/2022-डीजीटीआर**

**भारत सरकार**

**वाणिज्य विभाग**

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**

**व्यापार उपचार महानिदेशालय**

**चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001**

**दिनांक 28 मार्च, 2024**

**<u>अधिसूचना</u>**

**<u>(अंतिम जांच परिणाम)</u>**

**<u>मामला सं. ओआई -17/2022</u>**

**विषय: चीन जन.गण. और थाइलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए "फ्लैक्सीबल स्लैब स्टॉक पोलीओल के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।**

**क. <u>मामले की पृष्ठ भूमि</u>**

1. फा.सं. 6/17/2024-डीजीटीआर- समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और उसकी समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण एवं क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" अथवा "पाटनरोधी नियमावली" भी कहा गया) को ध्यान में रखते हुए:

2. मैसर्स मनाली पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (जिसे आगे घरेलू उद्योग अथवा आवेदक भी कहा गया है) ने चीन जन.गण गण और थाइलैंड (जिसे आगे 'संबद्ध देश' भी कहा गया) से "फ्लैक्सीबल स्लैब स्टॉक पोलीओल' (जिसे आगे 'संबद्ध वस्तु' अथवा पीयूसी भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे 'प्राधिकारी' भी कहा गया है) के समक्ष आवेदन दायर

किया है।

3. जबकि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की ओर से आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश पर विचार करने के लिए इस नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 29.03.2023 की आम सूचना जारी की।

## ख. संबद्ध वस्तुओं की विगत जांच

4. संबद्ध वस्तुओं के पाटनरोधी शुल्कों के अध्यधीन देशों और कंपनियों की एक सूची नीचे तालिका में सारांश में दी गई है:

| **शामिल देश** | **वे देश जिन्होंने भाग लिया** | **वर्तमान स्थिति** |
|---|---|---|
| आस्ट्रेलिया | किसी भी कंपनी ने भाग नहीं लिया। हालांकि, डीओब्ल्यू के पास क्षमता है। | शुल्क लागू नहीं |
| ब्राजील | डीओडब्ल्यू क्विमाइका एसए | शुल्क लागू नहीं |
| चीन | जिन हुआ केमिकल्स (ग्रुप) कार्पोरेशन वानहुआ केमिकल ग्रुप कं. लि. | वर्तमान में कोई शुल्क नहीं |
| ईयू | बेयर, रेपसोल क्विमाइका, एस.ए., | शुल्क लागू |
| जापान | सान्यो केमिकल्स | शुल्क लागू नहीं। तथापि, उन्होंने थाइलैंड में पीटीटी ग्लोबल केमिकल पब्लिक कंपनी लिमिटेड (जीसी) के साथ संयुक्त उद्यम शुरु किया है। |
| कोरिया | एसकेसी कं. लि. | शुल्क लागू नहीं |
| सिंगापुर | शेल ग्रुप, बीएएसएफ, बेयर | शुल्क लागू |

| | | |
|---|---|---|
| ताईवान | बेयर पोलीयुरेथनेस, | शुल्क लागू नहीं |
| यूएसए | डीओडब्ल्यू केमिकल कं. | शुल्क लागू नहीं |
| थाईलैंड | डीओडब्ल्यू केमिकल,<br>आईआरपीसी-पीसीसी<br>टोयोटा सुशो (थाईलैंड) कं. लि.<br>जीसी पोलियोल्स कंपनी<br>आलनेक्स | वर्तमान में कोई शुल्क नहीं |
| सऊदी अरब | सदारा केमिकल्स कंपनी (एससीसी) [डीओडब्ल्यू + सऊदी अरामको] | शुल्क लागू |
| यूएई | शेल ग्रुप | शुल्क लागू |

**ग. प्रक्रिया**

5. निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण इस जांच के संबंध में किया गया है:

i. प्राधिकारी को उपर्युक्त नियमावली के अन्तर्गत संबद्ध देशों से 'फ्लेक्सीबल स्लैबस्टाक पोलिओल' के पाटन और परिणामी क्षति का आरोप लगाते हुए, घरेलू उद्योग की ओर से आवेदक से लिखित आवेदन प्राप्त हुआ।

ii. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार जांच शुरू करने की कार्यवाही करने के पूर्व पाटनरोधी आवेदन के प्राप्त होने के बारे में भारत में अपने दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों को अधिसूचित किया।

iii. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबंद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 29.3.2023 को अधिसूचना जारी की।

iv. आम सूचना की एक प्रति प्राधिकारी द्वारा इस नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार संबद्ध जांच को शुरु करने के बारे में संबद्ध वस्तुओं के सभी ज्ञात

निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्राधिकारी द्वारा अग्रेषित किया गया था।

v. प्राधिकारी ने ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और इसके दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों, जिन्होंने उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार लिखित रूप में अनुरोध किया, को आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की प्रति भी उपलब्ध कराई। आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति भी सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध कराई गई थी और इसे जहां कहीं भी अनुरोध किया गया, अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया गया था।

vi प्राधिकारी ने संबद्ध देशों और अन्य हितबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हुए आम सूचना की प्रति अग्रेषित की और उन्हें जांच की शुरुआत संबंधी सूचना में यथा-निर्धारित समय-सीमा अथवा बढ़ाई गई समय-सीमा के भीतर निर्धारित रूप में और तरीके से प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने तथा इस निमावली के नियम 6(4) के अनुसार लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत कराने के लिए एक अवसर भी प्रदान किया। प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संगत सूचना प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक की प्रश्नावली भेजी:

i. मैसर्स झेजियांग सनहुआन केमिकल कंपनी लिमि.(चीन)
ii. मैसर्स वानहुआ केमिकल ग्रुप कं. लि. (चीन)
iii. मैसर्स आईआरपीसी पब्लिक कंपनी लिमिटेड पैट्रोकेमिकल बिजनेस (थाइलैंड)
iv. मैसर्स डीओडब्ल्यू केमिकल लि. (थाइलैंड)
v. मैसर्स जीसी पोलिओल्स कंपनी लिमिटेड (थाइलैंड)

vii. संबद्ध देशों की सरकारों से भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से भी अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए अपने देशों से निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें।

viii. अधिसूचना के जवाब में, निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत कर उसका जवाब दिया:

i. वानहुआ केमिकल ग्रुप कं. लि. (उत्पादक/निर्यातक)
ii. वानहुआ केमिकल (यानतई) ट्रेडिंग कं. लि. (घरेलू व्यापारी)
iii. वानहुआ केमिकल (सिंगापुर) पीटीई लि., सिंगापुर (निर्यातक)
iv. टोयोटा त्सुशो (थाइलैंड) कं. लि. (उत्पादक/निर्यातक)
v. जीसी पोलीओल्स कंपनी लिमिटेड (उत्पादक/निर्यातक)

vi आलनेक्स (थाइलैंड) लिमिटेड (उत्पादक/निर्यातक)

vii. आलनेक्स रेजिन (चीन) कं. लिमिटेड (उत्पादक/निर्यातक)

viii. डीओडब्ल्यू केमिकल थाइलैंड लिमिटेड (डीओडब्ल्यू थाइलैंड) (उत्पादक/निर्यातक)

ix. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना की मांग करते हुए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक की प्रश्नावलियां भेजी:

i. शीला फोम प्रा. लि.

ii. प्राइम कम्फर्ट्स

iii. एम एच पोलिमर्स प्रा. लि.

iv. सोमानी फोम लि.

v. तिरुपति फोम लि.

vi डुरा पफ

vii. श्री सिंघल फोम्स प्रा. लि.

viii. मल्टीविन फोम्स (प्रा.) लि.

ix. श्री मलानी फोम्स प्रा. लि.

x. जॉय फोम प्रा. लिमि.

x. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों और संबंधित मंत्रालय को आर्थिक हित प्रश्नावली (ईआईक्यू) जारी की। ईआईक्यू का उत्तर केवल श्री मलानी फोम्स (पी) लिमिटेड प्रस्तुत किया गया था।

xi. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना की मांग करते हुए और परिचालन के लिए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात संघों के भारतीय पोलीयूरेथेम संघ को आयातक की प्रश्नावलियां भेजी:

xii. संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित आयातकों ने आयातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत कर जवाब दिया है:

i. वानहुआ इंटरनेशनल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया

ii. मैसर्स तिरुपति फोम लिमिटेड

iii. मैसर्स एम.एच. पोलिमर्स लिमि.

iv. टोयोटा कुशो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

xiii. अतिरिक्त अनुरोध भी भारतीय पोलीयूरेथेन संघ(आईपीयूए) द्वारा जांच की प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत किया गया था।

xiv. निर्यातकों, विदेशी उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों, जिन्होंने प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है अथवा इस जांच के संबंधित सूचना नहीं दी है, को असहयोगी हितबद्ध पक्षकारों के रूप में माना जाता है।

xv. प्राधिकारी ने दूतावासों, सभी ज्ञात निर्यातकों, आयातकों और घरेलू उद्योग को आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की।

xvi. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी जहां कहीं भी आवश्यक हो, गोपनीयता के दावे को स्वीकार करते हैं और ऐसी सूचना को गोपनीय तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न की गई सूचना मानी गई है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।

xvii. हितबद्ध पक्षकारों से यह कहा गया था कि वे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तरों, अनुरोधों और साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर साझा करें।

xviii. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर, 2023 (12 महीने) की है। वर्तमान जांच के लिए क्षति की अवधि 1 अप्रैल, 2019-31 मार्च, 2020, 1 अप्रैल 2020-31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 - 31 मार्च, 2022 और जांच की अवधि है।

xix. घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के सत्यापन उस सीमा तक किया गया था, जिस सीमा तक इस जांच के उद्देश्य से उसे आवश्यक माना गया। निर्यातकों के लिए, डेस्क सत्यापन उनके आंकड़ों का सत्यापन करने के लिए किया गया था। केवल सत्यापित आंकड़ों पर इस अंतिम जांच परिणामों के उद्देश्य से विचार किया गया था।

xx. सामान्य रूप से स्वीकार की गई लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 3 के आधार भारत में संबद्ध वस्तुओं निर्माण करने तथा बिक्री करने की लागत और उत्पादन की लागत के आधार पर है। यह तय किया गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि क्या पाटन मार्जिन की तुलना में कमतर शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

xxi. वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से क्षति की इस अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों का लेन-देनवार विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। उस पर उल्लिखित निर्यातकों के निर्यातों की मात्रा का संबंध बताने तथा व्यवहार्य सीमा तक

प्रस्तुत किए गए उत्तरों का वैधकरण करने के लिए आयातों की मात्रा और मूल्य का परिकलन के लिए विचार किया गया।

xxii. इस नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को 18.7.2023 को आयोजित मौखिक सुनवाई के दौरान अपने दृष्टिकोण मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए अवसर उपलब्ध कराए जिसमें हितबद्ध पक्षकारों द्वारा भाग लिया गया था। सभी पक्षकारों, जिन्होंने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, से अपने विचारों को लिखित अनुरोध के रूप में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। लिखित अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर हितबद्ध पक्षकारों को इमेल द्वारा 25.7.2023 को परिचालित किया गया था और उन्हें 01.08.2023 तक प्रतिउत्तर अनुरोधों, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए अवसर दिया गया था।

xxiii. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान सूचना देने से इंकार किया है अथवा अन्य प्रकार से आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई है या इस जांच में बहुत अधिक हद तक बाधा पहुंचाई है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी के रूप में माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इस अंतिम जांच परिणाम को रिकॉर्ड किया।

xxiv. प्राधिकारी ने दिनांक 14 फरवरी, 2024 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को केन्द्र सरकार को अंतिम सिफारिशों करने के लिए विचाराधीन सभी आवश्यक तथ्यों वाला प्रकटन विवरण परिचालित किया। हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे प्रकटन विवरण के संबंध में अपनी टिप्पणियां दिनांक 23 फरवरी, 2024 तक प्रस्तुत करें। हालांकि, हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर, प्राधिकारी ने इस समय सीमा को बढ़ाकर 29 फरवरी, 2024 कर दिया है।

xxv. प्राधिकारी ने इन अंतिम जांच परिणामों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए सभी प्रकटन पश्चात टिप्पणियों की संगत मानी गई सीमा तक जांच की है। कोई भी अनुरोध, जो केवल पूर्व अनुरोध की पुन: प्रस्तुति थी और जिसकी समुचित रूप से प्राधिकारी द्वारा जांच की गई थी, को संक्षिप्तता के वास्ते दोहराया नहीं गया है।

xxvi. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस चरण में दिए गए सभी तर्कों और उपलब्ध कराई गई सूचना पर उस सीमा तक विचार किया है, जिस सीमा तक उसके समर्थन में साक्ष्य है और उसे वर्तमान जांच के लिए संगत माना गया है।

xxvii. इस अंतिम जांच परिणाम में '***' चिन्ह हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और प्राधिकारी द्वारा नियमावली के अंतर्गत गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।

xxviii. पीओआई के दौरान प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमरीकी डॉलर = 77.54 रुपए है।

## घ. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु का कार्य-क्षेत्र

6. वर्तमान समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद फ्लैक्सीबल स्लैबस्टॉक पोलिओल है।

### घ.1 घरेलू उद्योग के विचार

7. घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए थे:

i. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए फ्लैक्सीबल स्लैबस्टॉक पोलिओल है। संबद्ध उत्पाद 3000-4000 आणविक भार का एक स्पष्ट विस्कस तरल पदार्थ है, जिसका निर्माण प्रोपिलीन ऑक्साइड और एथीलीन ऑक्साइड के थ्रिओलचेन स्टार्टर के साथ पोलिमराइज करते हुए किया जाता है। यह एक पोलिथर है और अपने उत्प्रेरकों तथा एडिटिव्स के साथ प्रतिक्रिया किए जाने पर अपहोस्ट्री, गद्दे, तकिए, बोलस्टर्स ट्रोसपोर्ट सीटिंग और पैकेजिंग में उपयोग किए जाने वाले पोलियूरेथेन बनता है। फ्लेक्सिबल स्लैबस्टाक पोलिओल की ढुलाई टैंकरों में की जाती है अथवा उसे स्टील के ड्रम में रखा जाता है।

ii. संबद्ध वस्तुओं का वर्गीकरण सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 39 के अंतर्गत उप शीर्ष 3907, 390720, 390791 और 390799 के अंतर्गत किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह किसी भी प्रकार से जांच के कार्य-क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

iii. अलानेक्स के अनुरोध के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि पोलिएस्टर रेसिन विचाराधीन उत्पाद के अंतर्गत नहीं आता है और इस कारण से, उसे विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से बाहर नहीं किया जा सकता है।

### घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

8. यह कि प्राधिकारी को स्पष्ट करना चाहिए कि अलेनेक्स थाइलैंड द्वारा निर्यात किए गए उत्पाद अर्थात पोलिएस्टर रेसिन विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से बाहर हैं।

9. उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के कार्य क्षेत्र के संबंध में कोई अन्य अनुरोध नहीं किया गया है।

**घ.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>**

10. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद फ्लैक्सीबल स्लैबस्टॉक पोलिओल है। संबद्ध उत्पाद 3000-4000 आणविक भार का एक स्पष्ट विस्कोस तरल पदार्थ है, जिसका निर्माण प्रोपिलीन ऑक्साइड और एथीलीन ऑक्साइड के थ्रिओलचेन स्टार्टर के साथ पोलिमराइज करते हुए किया जाता है। यह एक पोलिथर है और अपने उत्प्रेरकों तथा एडिटिव्स के साथ प्रतिक्रिया किए जाने पर अपहोस्ट्री, गद्दे, तकिए, बोलस्टर्स ट्रोसपोर्ट सीटिंग और पैकेजिंग में उपयोग किए जाने वाले पोलियूरेथेन बनता है। फ्लेक्सिबल स्लैबस्टाक पोलिओल की ढुलाई टैंकरों में की जाती है अथवा उसे स्टील के ड्रम में रखा जाता है (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" कहा गया है)।

11. संबद्ध वस्तुओं का वर्गीकरण भारतीय व्यापार वर्गीकरण के अनुसार सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 के अध्याय 39 और आगे 3907 20, 3907 91, 3907 99 में "प्लास्टिक्स और उसकी वस्तुओं" श्रेणी के अन्तर्गत किया जाता है। हालांकि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक मात्र है और यह किसी भी प्रकार से वर्तमान जांच के कार्य-क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जबकि अलग अलग आईटीसीएचएस को उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा उद्धृत किया जा सकता है, इसका उत्पाद विवरण आईटीसीएचएस की तुलना में प्राथमिकता प्राप्त करता है क्योंकि वह संसूचक है।

12. समान वस्तु के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

*"समान वस्तु" से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटने के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरुप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरुप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;*

13. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी का यह मत है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु इन वस्तुओं की रासायनिक विशेषताओं, कार्य एवं उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशन, वितरण एवं विपणन और प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में विचाराधीन उत्पाद से तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक

रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। इस प्रकार प्राधिकारी का यह मत है कि आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की गई संबद्ध वस्तु विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु है जिसका आयात संबद्ध देशों से इस नियमावली के अनुसार किया जाता है। ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। उपभोक्ता इन दोनों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर कर रहे हैं।

14. जहां तक मैसर्स ऑलनेक्स के अनुरोधों का प्रश्न है, यह नोट किया जाता है कि पालिएस्टर रेसिन विचाराधीन उत्पाद का भाग नहीं है और इस कारण से प्राधिकारी यह स्पष्ट करते हैं कि पोलिएस्टर रेसिन विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से बाहर है।

15. *वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "आणवीय वजन 3000-4000 का फ्लैक्सीबल स्लैबस्टॉक पोलिओल " है।*

16. इस प्रकार, प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की गई संबद्ध वस्तु इस नियमावली के नियम 2(घ) के कार्य-क्षेत्र और तात्पर्य से संबद्ध देशों से आयात किए गए विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु है।

## ङ. घरेलू उद्योग का कार्य-क्षेत्र और आधार

### ङ.1 घरेलू उद्योग के विचार

17. घरेलू उद्योग द्वारा इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. यह आवेदन मैसर्स मनाली पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए दायर किया गया है। आवेदक ने यह भी अनुरोध किया कि वे जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के भारतीय उत्पादन का 100% हिस्सा है। उनके पास उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में, विचाराधीन उत्पाद का कोई अन्य ज्ञात उत्पादक नहीं है। आवेदक ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का न तो आयात किया है और न ही उनका संबंध संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक अथवा भारत में किसी आयातक से है। इसके अलावा, आवेदक का संबद्ध वस्तुओं के भारतीय उत्पादन में बहुत बड़ा हिस्सा है।

ii. उपर्युक्त को देखते हुए और चूंकि किसी भी हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के आधार के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है, अत: प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे इस नियमावली के नियम 2(ख) के आशय से आवेदक को घरेलू उद्योग के रूप में विचार करें क्योंकि यह आवेदन उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 के संदर्भ में आधार के मानदंड को पूरा करता है।

**ड.2. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>**

18. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने आवेदक के आधार और पात्रता पर पात्र घरेलू उद्योग के रूप में विचार किए जाने के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

**ड.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>**

19. वर्तमान जांच के लिए आवेदन मैसर्स मनाली पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। यह नोट किया जाता है कि आवेदक के अलावा, विस्तारित पोलिमर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड भी संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन कर रहा था। तथापि, आक्रामक पाटन के कारण उन्होंने संबद्ध वस्तुओं के पोलिओल के अन्य रूप में अपने परिचालन को परिवर्तित किया है। इस प्रकार यह नोट किया जाता है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं का कोई अन्य उत्पादक नहीं है, जैसा कि आवेदक द्वारा दावा किया गया है।

20. किसी भी उत्पादक/निर्यातक/अन्य हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग के कार्य-क्षेत्र और आधार के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

21. उपलब्ध सूचना के अनुसार, आवेदक ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का न तो आयात किया है और न ही इसका संबंध संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातक अथवा निर्यातक से है। उपर्युक्त को देखते हुए, आवेदक घरेलू उद्योग के मानदंड और इस नियमावली के अन्तर्गत यथा-निर्धारित आधार के मानदंड को पूरा करता है।

22. रिकॉर्ड पर सूचना यह दर्शाती है कि आवेदक द्वारा उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का 'एक बड़ा हिस्सा' है।

23. उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 2(ख) के आशय से घरेलू उद्योग के रूप में आवेदक पर विचार किया है और यह आवेदन इस नियमावली

के नियम 5(3) के संदर्भ में आधार के मानदंड को पूरा करता है।

## च. गोपनीयता

### च.1 घरेलू उद्योग के विचार

24. घरेलू उद्योग द्वारा निर्यातकों/आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता के दावे के संबंध में किए गए विभिन्न अनुरोधा निम्नानुसार हैं:

i. निर्यातक अपने उत्तर के सार्थक अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध नहीं कराकर भारतीय कानून के अन्तर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल रहा है। इसके अलावा, निर्यातकों/आयातकों ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा कर इस प्रणाली का मज़ाक बनाया है।

ii. आवेदक ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में यथा-अनुमत्य उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है और इस प्रकार की सूचना का सार्थक सारांश भी उपलब्ध कराया गया था। हितबद्ध पक्षकारों के इन दावों की आवेदक ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है, निराधार है।

iii. लागत संबंधी सूचना के संबंध में दावा की गई गोपनीयता के बारे में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि लागत की प्रकृति गोपनीय है और इस कारण से घरेलू उद्योग ने लागत को गोपनीय के रूप में सही दावा किया है।

### च.2 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

25. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा घरेलू उद्योग के गोपनीयता के दावे के संबंध में विभिन्न अनुरोध निम्नानुसार हैं:

i. घरेलू उद्योग ने आवेदन में अत्यधिक और अनावश्यक गोपनीयता का दावा किया है। इसके अलावा, आवेदन का उनका अगोपनीय रूपांतर व्यापार सूचना 10/2018 के माध्यम से डीजीटीआर द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन नहीं करता है।

ii. घरेलू उद्योग द्वारा अत्यधिक गोपनीयता के दावे में निर्यातकों की टिप्पणी करने की क्षमता को प्रतिबंधित किया है और इसके साथ ही अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा तथ्यों को सही तरीके से समझने और उसके मूल्यांकन करने की अनुमति नहीं देता है।

iii. निर्यातकों द्वारा अत्यधिक दावे के घरेलू उद्योग के आरोप के संबंध में यह अनुरोध किया जाता है कि निर्यातकों ने केवल व्यापार संवेदनशील सूचना के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है।

**च.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>**

26. गोपनीयता के संबंध में जांच की प्रक्रिया के दौरान आवेदक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों की जांच और उसका निवारण प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई सीमा तक निम्नानुसार किया जाता है:

27. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:-

*" गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।*

*(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।*

*उप नियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"*

28. सूचना की गोपनीयता के संबंध में दिए गए तर्क के बारे में, यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच

गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के बारे में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न की गई सूचना माना गया है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था। प्राधिकारी ने सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया। घरेलू उद्योग के आयातों, कार्य-निष्पादन मापदंडों और क्षति मापदंडों से संबंधित सूचना सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध कराई गई है। व्यापार संवेदनशील सूचना को कार्य-पद्धति के अनुसार गोपनीय रखा गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोई भी सूचना, जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है, को गोपनीय नहीं माना जा सकता है।

## छ. <u>सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण</u>

### छ.1 <u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

29. घरेलू उद्योग ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. घरेलू उद्योग ने जांच की शुरुआत के उद्देश्य से अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार अपनी याचिका में सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के अपने दावे का समर्थन करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराया है।

ii. प्राधिकारी को थाइलैंड में संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन की लागत की गणना करने के लिए आईसीआईएस एलओआर में प्रकाशित कीमतों अथवा अंतर्राष्ट्रीय कच्चे माल की कीमत और न कि थाइलैंड में उत्पादक द्वारा प्रस्तुत की गई कीमतों के आधार पर कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं के साथ उनकी आंतरिक व्यवस्था के कारण प्रोपिलीन ऑक्साइड (पीओ) की बाजार कीमत पर विचार करना चाहिए।

iii. घरेलू उद्योग ने घरेलू बिक्री पर विचार करने के लिए प्राधिकारी से अनुरोध किया, जिसका विशुद्ध रूप से आशय थाइलैंड में स्थानीय बाजार की खपत और न कि उन बिक्रियों से है जिन्हें अन्ततः थाइलैंड के बाहर लदान कर भेजा जाता है।

iv. प्राधिकारी को निर्यातक और भारत में इसकी संबंधित प्रतिष्ठान के बीच लेन-देन की निकटता से जांच करनी चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग की यह आशंका

है कि निर्यातक और उससे संबंधित आयातक के बीच कीमत सही नहीं है और यह उच्चतर मूल्य पर किया जा रहा है।

v. प्राधिकारी को संबद्ध देशों और भारतीय संबंधित आयातकों से अंतिम प्रयोक्ताओं को उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दी गई बिक्री पश्चात छूट की जांच करनी चाहिए। घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से यह भी अनुरोध किया कि वे निष्पक्ष तुलना के लिए निर्यात कीमत तथा पहुंच मूल्य में आयातकों द्वारा उठाई गई हानि का समायोजन करें।

vi यह कि निर्यातकों के संबंधित आयातक संबद्ध वस्तुओं की बिक्री उन कीमतों पर कर रहे हैं जो भारत में आयातों के पहुंच मूल्य से कम है। इसके अलावा, निर्यातक/संबंधित आयातकों की कीमतों की जांच प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संघों द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तरों से किया जा सकता है।

vii. यह कि प्राधिकारी को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि कच्चे माल का कीमत निर्धारण संबंधित कंपनियों के बीच कच्चे माल के स्थानांतरण के संबंध में अलग है। घरेलू उद्योग ने आगे यह अनुरोध किया है कि कम से कम अंतरण कीमत की पद्धति घरेलू उद्योग को प्रकट की जानी चाहिए।

## छ.2 <u>हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

30. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. यह कि आवेदक ने कोई तर्क संगत स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया है कि इस प्रकार से घरेलू उद्योग की लागतें/परिवर्तन लागतें थाइलैंड में लागतों को दर्शाती है। इसके अलावा, थाइलैंड में बिजली की दरों को स्थापित करते हुए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसको देखते हुए, घरेलू उद्योग द्वारा दावा किया गया सामान्य मूल्य सही प्रतीत नहीं होता है और उसका उपयोग किसी भी अन्य उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए।

ii. सामान्य मूल्य की संरचना पाटनरोधी करार (एडी करार) और पाटनरोधी नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित मानकों और साक्ष्य संबंधी अपेक्षाओं का पालन किए बिना त्रुटिपूर्ण और गलत प्रश्नों पर आधारित है। इसके अलावा, यह भी अनुरोध किया जाता है कि निर्यातक घरेलू उद्योग द्वारा लगाए गए आरोप के अनुसार बिक्री पश्चात कोई भी छूट नहीं दे रहे हैं। निर्यातकों ने यह भी अनुरोध किया है कि पाटन मार्जिन और पहुंच मूल्य उनके आंकड़ों पर ही आधारित होना चाहिए।

iii. यह कि उत्पादक ने प्राधिकारी को सभी आंकड़े उपलब्ध कराए हैं और उन्होंने प्राधिकारी से उन आंकड़ों से सामान्य मूल्य और निर्यातक कीमत के लिए

उनके आंकड़ों का सत्यापन करने का भी अनुरोध किया गया है, जो उन्होंने प्रस्तुत किया है।

**छ.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>**

**सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण**

**छ.3.1 <u>थाइलैंड के लिए सामान्य मूल्य की गणना</u>**

31. धारा 9क(1)(ग) के अनुसार, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

*i. व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा*

*ii. जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रकिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-*

*क. समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा*

*ख. उपधारा- (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;*

**छ.3.2 <u>चीन के लिए सामान्य मूल्य की गणना</u>**

32. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 में निम्नलिखित उल्लेख है:

*7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित*

*ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं हैं, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"*

*8 (1) "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश" वाक्यांश का अर्थ है कि ऐसा देश जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत ढांचे के बाजार सिद्धान्तों को लागू नहीं करने वाले देश के रूप में मानते हैं, जिसके कारण ऐसे देश में पण्य वस्तुओं कि बिक्रियों उप पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार वस्तुओं के सही मूल्य को नहीं दर्शाती है।"*

*(2) यह कहना पूर्वनुमान लगाना होगा कि कोई देश जिसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्लू .टी.ओ. के किसी सदस्य के समक्ष प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित अथवा माना गया है, एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। तथापि, गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश से संबंधित फर्म निर्दिष्ट-प्राधिकारी को सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर इस परिकल्पना को समाप्त कर सकते हैं जो यह साबित करता हो कि ऐसा देश उप पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर एक गैर बाजार अर्थ-व्यवस्था वाला देश नहीं है।*

*(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंड पर विचार करेंगे कि क्या:*

*(क) ऐसे देश में कच्ची समग्रियों प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य*

*निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती है ;*

*(ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतों तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उठाये गये विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है, खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा परिसम्पतियों के मूल्यह्रास, अन्य बट्टे खाते वस्तु विनियम व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में;*

*(ग) ऐसी फर्म दिवालियापन तथा सम्पति कानून के अधीन होती है जो कि फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी देता है;*

*(घ) विनियम दर के परिवर्तन बाजार दर पर किये जाते है;*

*बशर्ते, तथापि, जहां इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसी अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निर्दिष्ट सिद्धान्तों के पैरा 1 से 6 में निर्दिष्ट सिद्धांतों को लागू कर सकते है।*

33. जांच की शुरुआत के चरण में, आवेदक ने उपयुक्त समायोजनों के साथ सामान्य मूल्य की गणना करने के लिए संरचित पद्धति के साथ आगे की कार्यवाही की। हालांकि, इस अंतिम जांच परिणामों के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई विधिवत् सत्यापित सूचना का उपयोग किया है।

34. प्राधिकारी ने इस संबंध में संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातकों की प्रश्नावली की प्रतियां भेजी। निम्नलिखित प्रतिष्ठानों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत कर इसका जवाब दिया है।

<u>चीन जन.गण के निर्यातक/उत्पादक</u>

क) मैसर्स वानहुआ केमिकल ग्रुप कं. लि., चीन जन.गण.

ख) वानहुआ केमिकल (यानतई) ट्रेडिंग कंपनी, लि., चीन जन.गण.

ग) वानहुआ केमिकल (सिंगापुर् पीटीई लिमि, सिंगापुर

घ) वानहुआ इंटरनेशनल (इंडिया) प्रा. लिमिटेड, भारत

<u>थाइलैंड के निर्यातक/उत्पादक</u>

ड.) मैसर्स जीसी पोलीओल्स कंपनी लिमिटेड,

च) टोयोटा सुशो (थाइलैंड) कंपनी लिमिटेड, और

छ) टोयोटा सुशो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आयातक, भारत

35. चूंकि उपर्युक्त कंपनियों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है, अत: प्राधिकारी ने इन उत्पादकों के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण हेतु अनुरोध की जांच की है और जहां कहीं भी उपयुक्त हुआ, पाटन मार्जिन का निर्धारित किया है।

36. संबद्ध देशों में अन्य उत्पादकों/निर्यातकों से सहयोग के अभाव में, प्राधिकारी ने पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.8 के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।

37. तद्नुसार, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के विभिन्न उत्पादकों/निर्यातकों के मामले में सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निम्नानुसार निर्धारण किया है:

**छ.3.3 <u>चीन के लिए सामान्य मूल्य:</u>**

38. प्राधिकारी द्वारा यह नोट किया गया है कि चूंकि चीन के संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का दावा नहीं किया है, अत: प्राधिकारी के पास चीन जन.गण. से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य तय करने के वास्ते पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 का सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा, यह भी अनुरोध किया जाता है कि पैरा 7 के संबंध में न तो घरेलू उद्योग ने किसी प्रतिनिधिक देश का प्रस्ताव किया है और न ही चीन से किसी प्रतिनिधिक देश द्वारा सुझाव दिए गए निर्यातकों का प्रस्ताव किया है। उपर्युक्त के अलावा, यह भी नोट किया जाता है कि किसी उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में संबद्ध वस्तुओं की कीमतें अथवा संरचित मूल्य या भारत सहित अन्य देशों को ऐसे तीसरे देश से कीमतें आवेदक द्वारा अथवा किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह भी नोट किया जाता है कि उन देशों, जिन पर पहले ही पाटनरोधी शुल्क लगा हुआ है, से अधिकांश आयात (लगभग 68%) हो रहे हैं। इस कारण से, अन्य देशों से आयात कीमतें (4.20%) पर प्राधिकारी द्वारा विश्वास नहीं किया जा सकता है। चूंकि पैरा 7 में उपलब्ध विकल्पों को ऊपर में उल्लेख किए गए कारणों से अपनाया नहीं जा सकता है, अत: प्राधिकारी को उचित

लाभ मार्जिन (अर्थात संरचित सामान्य मूल्य) को शामिल करने के लिए विधिवत् समायोजित समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई अथवा भुगतान के योग्य कीमत पर विचार करते हुए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए केवल बचे हुए विकल्प को अपनाना होता है। इस प्रकार से निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

**छ.3.4 <u>थाइलैंड के लिए सामान्य मूल्य</u>**

39. प्रश्नावली के उत्तर में दी गई सूचना के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मैसर्स जी सी पोलिओल संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है और इसने जांच की अवधि के दौरान सीधे तौर पर तथा व्यापार नामत: मैसर्स टोयोटा त्सुशो(थाइलैंड) कंपनी लिमिटेड, और मैसर्स मित्सुई बुसन केमिकल्स कंपनी लिमिटेड के माध्यम से संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। मैसर्स टोयोटा त्सुशो (थाइलैंड) कंपनी लिमिटेड भारत में संबंधित कंपनी और असंबंधित कंपनी, दोनों को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करता है।

40. निर्यातक ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद का ****एमटी की बिक्री की है जबकि इसने जांच की अवधि के दौरान भारत को सीधे तौर पर तथा असंबंधित व्यापारियों के माध्यम से संबद्ध वस्तुओं की ****एमटी का निर्यात किया है। भारत को किए गए निर्यातों का विवरण नीचे दिया गया है:

| उत्पादक | | मात्रा एमटी | सीआईएफ मूल्य यूएसडॉ. | सीआईएफ यूएसडा./ एमटी | भारतीय आयातक | मात्रा एमटी | सीआईएफ मूल्य यूएसडॉ. | सीआईएफ यूएसडा./ एमटी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जीसी पोलिओल | **प्रत्यक्ष** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| | **व्यापारियों के माध्यम से** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| | (1) टोयोटा त्सुशो (थाइलैंड) | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |

| उत्पादक | | मात्रा एमटी | सीआईएफ मूल्य यूएसडॉ. | सीआईए फ यूएसडा./ एमटी | भारतीय आयातक | मात्रा एमटी | सीआईए फ मूल्य यूएसडॉ. | सीआईए फ यूएसडा./ एमटी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| | | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| | (2) मित्सुई बुसान केमिकल्स कं. लि. | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| भारत को की गई निर्यात मात्रा | | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |

41. प्राधिकारी ने सबसे पहले इस तथ्य की जांच की है कि क्या संबद्ध देशों में संबंधित उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं की कुल घरेलू बिक्री निर्यातक देश में संबद्ध वस्तुओं की उनकी कुल बिक्री की तुलना में प्रतिनिधिक थी। इसके बाद, इस तथ्य की जांच की गई थी कि क्या उनकी बिक्री पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के संबंध में व्यापार सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत हुई है। उत्पादक/निर्यातक ने घरेलू बाजार में की गई बिक्री का लेन-देनवार ब्यौरा उपलब्ध कराया है। उसे प्राधिकारी द्वारा जांच के पश्चात स्वीकार किया गया है ओर उस पर घरेलू बाजार में बिक्री की गई संबद्ध वस्तुओं की बिक्री कीमत का निर्धारण करने के लिए विचार किया गया है। व्यापार जांच की सामान्य प्रक्रिया के निर्धारण के लिए, संबंधित उत्पाद के उत्पादन के लागत की जांच उत्पादक/निर्यातक द्वारा रखे गए रिकॉर्डों के संबंध में की गई थी।

42. इसके अलावा, सभी घरेलू बिक्री लेन-देन की जांच इस तथ्य का निर्धारण करने के लिए संबद्ध वस्तुओं के प्राधिकारी द्वारा निर्धारित उत्पादन की लागत के संदर्भ में

की गई थी कि क्या घरेलू बिक्री व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में की गई थी अथवा नहीं। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ अर्जित करने वाली घरेलू बिक्री लेन-देन का निर्धारण करने के लिए व्यापार जांच की सामान्य प्रक्रिया अपनाई है। प्राधिकारी सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में सभी लेन-देन पर विचार करते हैं यदि लाभप्रद लेन-देन कुल घरेलू बिक्री का 80% से अधिक हो। जबकि, लाभप्रद लेन-देन 80% के बराबर अथवा उससे कम हो, तब केवल लाभप्रद घरेलू बिक्री पर विचार किया जाता है। व्यापार जांच की इस सामान्य प्रक्रिया के आधार पर, केवल लाभप्रद घरेलू बिक्री (****%) को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए ध्यान में रखा गया है। आवेदक ने कारखाना पश्चात खर्च के रूप में अंतर्देशीय भाड़ा और क्रेडिट लागत का दावा किया है और उसे प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है। निर्धारित सामान्य मूल्य जैसा कि ऊपर में दिया गया है, का उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

**छ.3.5 थाइलैंड के सभी अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य**

43. यह नोट किया जाता है कि थाइलैंड के किसी भी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में सहयोग नहीं किया है। असहयोग को देखते हुए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ऐसे अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है, जिसकी गणना और उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

**छ.3.6 निर्यात कीमत**

**चीन**

44. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वानहुआ केमिकल ग्रुप ने भारत को संबंधित व्यापारी नामत: वानहुआ केमिकल (सिंगापुर) प्रा. लिमि. के माध्यम से ****यूएसडॉ. के बीजक मूल्य का भारत को संबद्ध वस्तुओं का ****एमटी निर्यात किया है। वानहुआ सिंगापुर ने वानहुआ इंडिया को संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है। आगे यह नोट किया जाता है कि वानहुआ सिंगापुर और वानहुआ इंडिया, दोनों ने घाटे पर संबद्ध वस्तुओं की फिर से बिक्री की है। उत्पादक/निर्यातक ने समुद्री भाड़े, पोर्ट और अन्य संबंधित खर्च, बीमा, अंतर्देशीय ढुलाई, क्रेडित लागत, बैंक शुल्क के आधार पर समायोजन का दावा किया है, जिनकी जांच रिमोट क्रासचेकिंग/डेस्क सत्यापन के माध्यम से व्यावहार्य सीमा तक की गई थी। तद्नुसार, उत्पादक/निर्यातक के लिए कारखानागत स्तर पर विचाराधीन उत्पाद के लिए निवल निर्यात कीमत का तद्नुसार निर्धारण किया जाता है।

**छ.3.7 <u>चीन के अन्य उत्पादक</u>**

45. चीन के सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यातक कीमत का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के अनुसार किया गया है, जिसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया हे।

**थाइलैंड**

46. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मैसर्स पोलिओल कंपनी लिमिटेड ने भारत को यूएसडॉ.**** के बीजक मूल्य का भारत को संबद्ध वस्तुओं का ****एमटी सीधे तौर पर निर्यात किया। उन्होंने असंबंधित व्यापारियों नामत: टोयोटा सुशो (थाइलैंड) कं. लिमिटेड और मित्सुई बुसन केमिकल्स कंपनी लिमिटेड के माध्यम से **** एमटी का भी निर्यात किया है। जबकि टोयोटा सुशो ने इस जांच में भाग लिया है, मित्सुई बुसन ने सहयोग नहीं किया है। उत्पादक/निर्यातक ने समुद्री भाड़े, पोर्ट और अन्य संबंधित खर्च, बीमा, अंतर्देशीय ढुलाई, क्रेडित लागत, बैंक शुल्क के आधार पर समायोजन का दावा किया है, जिनके विवरण की जांच रिमोट क्रासचेकिंग/डेस्क सत्यापन के माध्यम से व्यावहार्य सीमा तक की गई थी। तद्नुसार, उत्पादक/निर्यातक के लिए कारखानागत स्तर पर विचाराधीन उत्पाद के लिए निवल निर्यात कीमत का तद्नुसार निर्धारण किया जाता है।

**छ.3.7 <u>थाइलैंड के अन्य उत्पादक</u>**

47. थाइलैंड के सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण सहयोगी उत्पादक द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर विचार करते हुए उपलब्ध तथ्यों के अनुसार किया गया और यह वही है जिसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है:

**छ.3.8 पाटन मार्जिन तालिका:**

48. उपर्युक्त के आधार पर पाटन मार्जिन नीचे दिया गया है:

| देश | उत्पादक | सामान्य मूल्य/सीएनवी | निर्यात कीमत | पाटन मार्जिन | पाटन मार्जिन% | पाटन मार्जिन रेंज |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (अम.डा./एमटी) | (अम.डा./एमटी) | (अम.डा./एमटी) | % | |
| चीन | वानहुआ केमिकल ग्रुप | **** | **** | **** | **** | 80-90 |
| | अन्य | **** | **** | **** | **** | 80-90 |
| थाइलैंड | जीसी पोलिओल | **** | **** | **** | **** | 30-40 |
| | अन्य उत्पादक | **** | **** | **** | **** | 30-40 |

49. यह देखा गया है कि पाटन मार्जिन इस नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम सीमाओं से अधिक हैं।

**ज. क्षति का आकलन और कारणात्मक संबंध**

50. क्षति और कारणात्मकता के संबंध में विचार निम्नानुसार हैं:

**ज.1. <u>घरेलू उद्योग के विचार</u>**

i. यह कि संबंधित आयातक भारत में संबद्ध वस्तुओं की उस कीमत पर फिर से बिक्री कर रहे हैं जो आयात की गई संबद्ध वस्तुओं की कीमत से कमतर है और उन्हें हानि हो रही है। इसके अलावा, यह अनुरोध किया जाता है कि संबंधित आयातक घरेलू उद्योग की कीमतों से मुकाबला करने के लिए बिक्री बाद छूट दे रहे हैं और इस प्रकार उन पर कीमत का दबाव पड़ रहा है। इस संदर्भ में, घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से यह अनुरोध किया कि वे निवल निर्यात कीमत और आयातों के पहुंच मूल्य के प्रति उपयुक्त समायोजन करें।

ii. घरेलू उद्योग द्वारा यह भी अनुरोध किया जाता है कि ऐसे आयातों पर निर्यातकों द्वारा किया गया अतिरिक्त प्रत्यक्ष और परोक्ष लागत के साथ लगभग ****रु./कि.ग्रा. के पहुंच मूल्य के बावजूद, आयातक बाजार में लगभग ****रु./कि.ग्रा. पर संबद्ध वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। घरेलू उद्योग ने पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण करते समय इस

मुद्दे का सत्यापन करने और इसके साथ ही आवश्यक समायोजन करने का अनुरोध किया। ये समायोजन आवश्यक हैं ताकि निर्यातकों को उच्चतर सीआईएफ कीमतों पर आयात करने और उसके बाद बाजार में कमतर कीमत पर उसकी फिर से बिक्री करने की कार्य-पद्धति को अपनाकर कमतर क्षति मार्जिन लेने की अनुमति नहीं दी जाए।

iii. यह कि जब संबद्ध देशों से पहुंच मूल्य का समायोजन उपयुक्त रूप से किया जाता है तब यह देखा जाएगा कि समायोजित कीमतें घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत/उचित कीमत से बहुत अधिक हद तक कम है। कीमत में कटौती भी सही स्थिति को दर्शाएगा। संबंधित निर्यातकों द्वारा कम कीमत पर बिक्री और बिक्री के बाद छूट घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तुओं के लिए उचित कीमत लेने की अनुमति नहीं दे रहा है और इसके कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है।

iv. यह कि हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क कि घरेलू उद्योग भारतीय मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि स्थिर क्षमता और मांग में वृद्धि के बावजूद, वे अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग करने में सक्षम नहीं थे। यह तथ्य कि घरेलू उद्योग के पास निष्क्रिय क्षमता है, स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि भारत में आयात कमतर कीमत के कारण और न कि किसी मांग और आपूर्ति के मुद्दे के कारण हो रही है, जैसा कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा किया जा रहा है।

v. हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने इस नियमावली के नियम 5(3) के संदर्भ में कोई ठोस साक्ष्य नहीं लाया था, आवेदक ने अनुरोध किया कि उन्होंने सभी संगत सूचना प्राधिकारी को दे दी थी और उसे जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में विधिवत नोट कर लिया गया है।

vi हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई थी क्योंकि उनकी वार्षिक रिपोर्ट भारी मुनाफा दर्शाती है, घरेलू उद्योग द्वारा यह अनुरोध किया जाता है कि वे एक बहुत-उत्पाद कंपनी हैं और समग्र लाभ का अभिप्राय यह नहीं होता है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तुओं पर क्षति उठानी नहीं पड़ी है।

vii. यह कि वित्त लागत और ह्रास खर्च लागत का क्रमश: केवल ****% और ****% है और इस कारण से इसका घरेलू उद्योग को हुई क्षति पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ता है। लगाई गई पूंजी में वृद्धि के संबंध में, यह अनुरोध किया जाता है कि उसमें कार्य-शील पूंजी में वृद्धि के कारण बढ़ोतरी हुई है।

viii. यह कि प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देशों के बावजूद, आईपीयू संघ ने कानून के अन्तर्गत अपेक्षित अनुरोध किए गए विवरण उपलब्ध कराकर अपने दायित्वों को पूरा नहीं करने का विकल्प चुना है। इसके अलावा उन्होंने उस बैठक का कार्यवृत्त भी उपलब्ध नहीं कराया है जिसमें यह निर्णय इस जांच का विरोध करने के लिए पारित किया गया था।

ix. यह कि आईपीयू संघ प्राधिकारी को घरेलू उद्योग, संबद्ध देशों के व्यापारियों और निर्यातकों से संबद्ध वस्तुओं की खरीद कीमत से संबंधित संगत सूचना उपलब्ध कराकर सही निष्कर्ष पर पहुंचने में सहयोग करने में असफल रहा है।

x. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में मांग में वृद्धि के बावजूद गिरावट आई। हालांकि, उसी अवधि के दौरान, संबद्ध देशों से आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है।

xi. यह कि घरेलू उद्योग ने अनुबंध-III के अनुसार एनआईपी का दावा किया है। प्राधिकारी ने उन आंकड़ों का सत्यापन भी किया है और केवल ऐसे सत्यापित आंकड़ों का उपयोग प्राधिकारी द्वारा किया गया है।

xii. यह कि घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति हो रही है और संबद्ध वस्तुओं के कारण भारी हानि हो रही है। यह दर्शाना महत्वपूर्ण है कि जब जांच की अवधि के लिए औसत पहुंच मूल्य लगभग **** रु./एमटी है, इस प्रकार से आयातक संबद्ध वस्तुओं की बिक्री लगभग **** रु./एमटी पर कर रहे हैं। कीमत में इस अंतर ने घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति उठाने के लिए बाध्य किया है।

xiii. यह कि संबद्ध देशों से पहुंच मूल्य में लगातार गिरावट आ रही है और आयातों की मात्रा में वृद्धि हो रही है, इसके अलावा, संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं की क्षमता संबद्ध देशों में मांग से बहुत अधिक है, जो यह दर्शाता है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों के पास अन्य देशों को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यदि यह स्थिति इस प्रकार से जारी रहती है तब इस बात की पूरी संभावना है कि घरेलू उद्योग की क्षति और अधिक होगी। यह क्षति के खतरे को भी दर्शाता है।

xiv. हितबद्ध पक्षकार के इस आरोप के संबंध में कि घरेलू उद्योग व्यापार उपचारों का आदतन प्रयोक्ता है और यह कि घरेलू उद्योग ने बहुत अधिक लाभ कमाने के गलत उद्देश्य से यह याचिका दायर की थी, घरेलू उद्योग द्वारा यह अनुरोध किया जाता है कि वे कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बहुत अधिक दबाव में हमेशा रहते हैं जिन्होंने आपूर्ति के स्रोतों को निरंतर बदलते हुए पाटित कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है और उसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। इसके अलावा, पाटनरोधी शुल्कों को तभी लगाया गया था जब बिना किसी संदेह के यह सिद्ध किया गया था कि कुछ

कंपनियां/समूह नियमित रूप से भारत में संबद्ध वस्तुओं का पाटन कर रहा था और घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहा था।

xv. कीमत में कटौती, लाभप्रदता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के इन अनुरोधों के बारे में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि कीमत में कटौती पहुंच मूल्य और घरेलू बिक्री की कीमत के बीच तुलना का कार्य है जबकि लाभप्रदता लागत और बिक्री कीमत के बीच तुलना का कार्य है। इस कारण से, हितबद्ध पक्षकारों का पहुंच मूल्य और बिक्री मूल्य में तुलना करने का कोई भी प्रयास यह दर्शाने के लिए कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता का पहुंच मूल्य से कोई संबंध नहीं है, निराधार है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि जब पहुंच मूल्य उच्चतर था तब घरेलू उद्योग उचित लाभ अर्जित नहीं कर पाया। हालांकि जब पहुंच मूल्य में गिरावट आई तब घरेलू उद्योग को पुन: हानि हुई।

xvi. यह भी नोट करना महत्वपूर्ण है कि सऊदी अरब और यूएई के विरुद्ध शुल्क लगाए जाने के बाद ही, थाइलैंड और चीन से आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई। हालांकि, निर्यातक देशों में परिवर्तन के बावजूद वही हैं।

## ज.2 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

i. यह कि घरेलू उद्योग को कथित क्षति संबद्ध देशों, विशेषकर थाइलैंड से आयातों के कारण नहीं हुई। इसके अलावा, यह अनुरोध किया जाता है कि घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन विचाराधीन उत्पाद के संबद्ध आयातों से अप्रभावित रहा है।

ii. यह कि घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई हानि, कीमत में कटौती और जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की मात्रा में कोई सह-संबंध नहीं है, इस पहलू की जांच प्राधिकारी द्वारा किए जाने की आवश्यकता है।

iii. यह कि संबद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को न तो कोई मात्रा में क्षति और न ही कीमत में क्षति हुई है। इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी को न केवल इस जांच को समाप्त कर देना चाहिए बल्कि अन्य संबद्ध देशों के विरुद्ध शुल्क भी समाप्त कर देना चाहिए।

iv. यह कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में तत्काल पूर्व वर्ष अर्थात 2020-21 की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई। यह इस आधार पर घरेलू उद्योग को क्षति नहीं होना दर्शाता है।

v. यह कि आवेदक द्वारा दावा किया गया एनआईपी एकतरफा और बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है क्योंकि आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट लाभ के उच्च स्तर को इंगित करता है और आवेदक की कीमत भी थोड़ा अधिक है।

vi यह कि ह्रास और वित्तीय लागत में बहुत अधिक वृद्धि घरेलू उद्योग को क्षति का मुख्य कारण है। प्राधिकारी को इस तथ्य की जांच करनी चाहिए। यह भी अनुरोध किया गया था कि चूंकि घरेलू उद्योग की क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई थी, अत: प्राधिकारी को कार्यशील पूंजी में वृद्धि के कारण की जांच करनी चाहिए।

vii. यह कि घरेलू उद्योग क्षति के खतरे का अपना मामला बनाने में असफल रहा। इसके अलावा, घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से आयातों से भी कोई क्षति नहीं हुई है। यदि घरेलू उद्योग को कोई क्षति हुई हो तो वह संयंत्रों के बंद होने और कोविड के प्रभाव जैसे अन्य कारणों से हुई है।

viii. आवेदक भारत में संबद्ध उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है और इसने एक अथवा अन्य स्रोत से भारत में आ रहे संबद्ध आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्कों के रूप में अनेक वर्षों से लगातार संरक्षण की मांग की है और उसे प्राप्त किया है। यह पाटनरोधी शुल्कों के दुरुपयोग का एक अनोखा मामला है।

ix. लाभ/हानि और आरओसीई से संबंधित आंकड़े गलत तरीके से प्रस्तुत किए गए और आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट के प्रतिकूल प्रतीत होते हैं और इसका कठोर सत्यापन और छानबीन किया जाना अपेक्षित है।

x. प्राधिकारी के लिए यह जरूरी है कि वे पाटित आयातों के अलावा अन्य कारकों की जांच करें जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही और ऐसे अन्य कारकों के लिए कथित पाटित आयातों को जिम्मेदार नहीं माना जाना चाहिए जिसमें (क) संयंत्र का बंद होना; और (ग) बैकवर्ड एकीकरण का अभाव शामिल है।

xi. घरेलू उद्योग के पास भारतीय मांग को पूरा करने की सीमित क्षमता है। अपने लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से घरेलू उद्योग बार बार पाटनरोधी शुल्क लगाता है।

xii. यह कि बिक्री बाद छूट के संबंध में घरेलू उद्योग के प्रमाणित न किए दावे को अस्वीकार किया जाना चाहिए और प्राधिकारी को इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से आयातों के कारण कोई क्षति नहीं हो रही है।

## ज.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

51. क्षति पर हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग के विभिन्न निवेदनों की रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना के अनुसार जांच की गई है। तथ्यों और आंकड़ों से संबंधित सभी संगत मुद्दों पर निम्नलिखित क्षति संबंधी विश्लेषण में ध्यान दिया गया है:

i. जहां तक विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का संबंध है कि याचिका त्रुटिपूर्ण है और इसलिए, जांच को समाप्त किये जाने की आवश्यकता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच को अधिनियम और नियमावली के अनुसार जांच की शुरुआत के औचित्य को सिद्ध करने के लिए पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध को दर्शाते हुए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर शुरू किया गया था। जहां भी जरूरी था, प्राधिकारी ने अतिरिक्त सूचना की मांग की है और घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का सत्यापन किया है।

ii. जहां तक इस दावे का संबंध है कि पाटनरोधी शुल्क 17 से अधिक वर्षों से प्रवृत्त रहा है और इसने अभिप्रेरित उद्देश्य को पूरा किया है, प्राधिकारी ने पाटन रोधी नियमों के अनुसार सख्ती से यह जांच की है, प्राधिकारी का मत है कि घरेलू उद्योग को कानून के तहत सुरक्षा की मांग करने का पूरा अधिकार है, यदि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा वस्तुओं का पाटन सिद्ध हो जाता है, जो उद्योग को महत्वपूर्ण क्षति का कारण है। यह नोट करना भी महत्वपूर्ण है कि यदि कोई विशिष्ट निर्यातक यह प्रदर्शित करते हैं कि उन्होंने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का पाटन नहीं किया था तो कोई शुल्क नहीं लगाया जा सकता है।

iii. जहां तक क्षति विश्लेषण का संबंध है, यह कानून की स्थापित स्थिति है कि सभी अनिवार्य मापदंडों को ह्रास/क्षति दर्शाने की जरूरत नहीं है। कुछ मापदंड ह्रास दर्शा सकते हैं, जबकि कुछ सुधार दर्शा सकते हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सभी क्षति मापदंडों पर विचार किया है और उसके बाद, यह निष्कर्ष दिया है कि क्या पाटन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति झेलनी पड़ी है अथवा नहीं।

iv. जहां तक इस दावे का संबंध है कि देश में मांग उत्पादक की आपूर्ति क्षमता से अधिक है, यह नोट किया गया है कि देश में मांग आपूर्ति अंतर निर्यातकों द्वारा पाटन की विद्यमानता को तर्क संगत सिद्ध करने का आधार नहीं हो सकता। इस कारण का न तो कानून में और न ही पाटनरोधी तंत्र की अंतर्निहित योजना में कोई औचित्य नहीं पाया गया । इसके अलावा, पाटनरोधी शुल्कों का अभिप्राय भारत में आयातों को सीमित करना नहीं है और इसलिए, भारतीय बाजार में मांग-आपूर्ति अंतर होने का तर्क धारणीय नहीं है। इन पाटन-रोधी शुल्कों का प्रयोजन क्षतिकारक पाटन से घरेलू उत्पादकों की रक्षा करना और घरेलू उद्योग तथा भारत में संबद्ध वस्तुओं के अन्य आपूर्तिकर्ताओं/ प्रयोक्ताओं को बाजार में समान अवसर प्रदान करना है।

v. जहां तक हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे का संबंध है कि एनआईपी बड़ा हुआ है और घरेलू उद्योग किसी क्षति का सामना नहीं कर रहा, यह नोट किया जाता है कि एनआईपी को एडी नियमावली के अनुबंध III के आधार पर

परिकलित किया जाता है। इसके अलावा, क्षति विश्लेषण के लिए केवल सत्यापित जानकारी का प्रयोग किया जाता है और इसलिए, हितबद्ध पक्षकारों की उनकी लागत निर्धारण संबंधी सूचना और क्षति के बारे में सभी चिन्ताओं को उचित रूप से हटा दिया गया है।

vi. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, एडी नियमावली के अनुबंध II के पैरा (IV) में निम्नानुसार कहा गया है:

*"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों, घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा।"*

52. भारत में घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच के लिए, प्राधिकारी ने उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले ऐसे सूचकांकों पर ऊपर बताई गई नियमावली के अनुबंध II (IV) के अनुसरण में विचार किया है जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री आय, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि।

53. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में "....पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए....." ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।"

54. डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3.1 और नियमावली के अनुबंध-II इन दोनों की तथ्यपरक जांच की व्यवस्था है, (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पाद के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयतों का प्रभाव; और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव। पाटित आयातों के मात्रात्मक

प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पादों की कीमतों की तुलना में भारी कीमत कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में महत्वपूर्ण स्तर तक कमी करना है या ऐसा कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी मात्रा में बढ़ गई होती।

**झ. संचयी आकलन**

55. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) में यह उपबंध है कि यदि एक से अधिक देश से किसी उत्पाद के हुए आयात के साथ-साथ पाटनरोधी जांच की जा रही है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उस स्थिति में ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण करेंगे जब वह यह निर्धारित करें कि: (क) प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में पुष्टिकृत पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से हुए आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात के साथ सबसे अधिक बनती है; तथा (ख) आयातित वस्तु एवं समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के मद्देनजर आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण उचित है।

56. प्राधिकारी नोट करते हैं कि (क) संबद्ध देशों से भारत में संबद्ध वस्तुएँ पाटित की जा रही हैं। संबद्ध देशों में प्रत्येक से पाटन मार्जिन नियमावली के तहत निर्धारित की गई न्यूनतम सीमा से अधिक है। (ख) प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा व्यैक्तिक रूप से आयातों की कुल मात्रा के 3% से अधिक है। (ग) आयातों के प्रभावों का संचयी आकलन सही है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात न केवल परस्पर सीधे तौर पर प्रतिस्पर्धा करते हैं बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित समान वस्तुओं के साथ भी प्रतिस्पर्धा करते हैं।

57. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी का यह विचार है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों से संचयी रूप से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का आकलन करना उचित होगा।

58. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में ".....पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को

ध्यान में रखते हुए....." ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, स्टॉक लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा एवं मार्जिन आदि जैसे उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-2 के अनुसार विचार किया गया है।

59. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों, जो प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए हैं, निम्नानुसार जांच की गई है और उन का उल्लेख किया गया है

**झ.1.1 डंप किए गए आयातों का मात्रात्मक प्रभाव**

**झ.1.2 मांग/स्पष्ट खपत का आकलन**

60. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी द्वारा आयातों की प्रवृत्ति की, या तो कुल रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष, जांच किया जाना जरूरी है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने डीजी सी आई एवं एस से प्राप्त आयात संबंधी आंकड़ों का सहारा लिया है।

61. प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत पर भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों से आयातों के जोड़ के रूप में निम्नानुसार विचार किया है:

| क्र. सं. | विवरण | यूओओम | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | पीओआई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | घरेलू उद्योग की बिक्रियां | मी. टन | 19,198 | 21,034 | 18,994 | 17,204 |
| 2 | चीन जन.गण से आयात | मी. टन | 3,255 | 3,084 | 3,244 | 14,091 |
| 3 | थाईलैंड से आयात | मी. टन | 168 | 3,430 | 15,194 | 12,914 |
| 4 | संबद्ध देशों से | मी. टन | 3,423 | 6,514 | 18,438 | 27,004 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | आयात | | | | | |
| 5 | अन्य देशों से आयात | मी. टन | 85,832 | 57,571 | 72,717 | 72,641 |
| 6 | कुल आयात | मी. टन | 89,255 | 64,085 | 91,155 | 99,645 |
| 7 | कुल मांग | सूचीबद्ध | 100 | 78 | 102 | 108 |

62. संबद्ध वस्तुओं की मांग आधार वर्ष में *** मी. टन से 8% बढ़ कर पीओआई में *** मी. टन हो गई है।

### झ.1.3. पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव

**आयात मात्रा और हिस्सा**

| **क्र. सं.** | **विवरण** | **यूओओम** | **2019-20** | **2020-21** | **2021-22** | **पीओआई** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चीन जन.गण. | मी. टन | 3,255 | 3,084 | 3,244 | 14,091 |
| 2 | थाईलैंड | मी. टन | 168 | 3,430 | 15,194 | 12,914 |
| 3 | संबद्ध देशों से आयात | मी. टन | 3,423 | 6,514 | 18,438 | 27,004 |
| 4 | देश, जिन पर एडीडी लागू है | मी. टन | 33646 | 24645 | 34413 | 35457 |
| क | सिंगापुर | मी. टन | 37493 | 26055 | 32209 | 33004 |
| ख | सऊदी अरब | मी. टन | 70 | 0 | 0 | 0 |
| ग | यूएई | मी. टन | 14,622 | 6,872 | 6,095 | 4,181 |
| 5 | अन्य देश | मी. टन | 33646 | 24645 | 34413 | 35457 |
| 6 | कुल | मी. टन | 89,255 | 64,085 | 91,155 | 99,645 |
| 7 | निम्नलिखित से आयातों का हिस्सा | | | | | |
| 8 | चीन जन.गण. | % | 3.65% | 4.81% | 3.56% | 14.14% |
| 9 | थाईलैंड | % | 0.20% | 5.35% | 16.67% | 12.96% |
| 10 | संबद्ध देश | % | 4% | 10% | 20% | 27% |
| 11 | एडीडी लागू करने वाले देश | % | 79.78% | 79.11% | 73.09% | 68.70% |
| क | सिंगापुर | % | 37.70% | 38.46% | 37.75% | 35.58% |
| ख | सऊदी अरब | % | 42.01% | 40.66% | 35.33% | 33.12% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ग | यूएई | % | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 12 | अन्य देश | % | 16.38% | 10.72% | 6.69% | 4.20% |
| 13 | जोड़ | % | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 14 | घरेलू उद्योग का उत्पादन | सूचीबद्ध | 100 | 105 | 98 | 90 |
| 15 | के संबंध में संबद्ध देशों से आयात | | | | | |
| क | भारतीय उत्पादन | सूचीबद्ध | 100 | 182 | 559 | 894 |
| ख | भारतीय मांग | सूचीबद्ध | 100 | 250 | 500 | 675 |

63. संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा ने जांच की अवधि के दौरान कुल रूप में साथ ही सापेक्ष रूप से समग्र आयातों, उत्पादन और मांग की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शायी है।

**झ.1.4. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव**

**क. कीमत कटौती**

64. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली के साथ आयातों की पहुंच कीमत की तुलना की है। घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत की परिकल्पना करते समय सभी करों, छूटों, रियायतों और कमीशनों को घटाया गया है और पूर्व कार्य स्तर पर बिक्री वसूलियों को पाटित आयातों के पहुंच मूल्य के साथ तुलना के लिए निर्धारित किया गया है।

| **क्र. सं.** | **विवरण** | **यूओओम** | **2019-20** | **2020-21** | **2021-22** | **पीओआई** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | चीन जन.गण से पहुंच कीमत | रु./मी. टन | 110559 | 172300 | 188365 | 150131 |
| **2** | निवल बिक्री कीमत | रु./मी. टन | **** | **** | **** | **** |
| **3** | निवल बिक्री कीमत | सूचीबद्ध | 100 | 163 | 169 | 126 |
| **4** | कीमत कटौती | रु./मी. टन | **** | **** | **** | **** |
| **5** | कीमत कटौती | सूचीबद्ध | 100 | 584 | 101 | -433 |
| **6** | कीमत कटौती | % | **** | **** | **** | **** |
| **7** | कीमत कटौती | सूचीबद्ध | 100 | 375 | 59 | -319 |
| **8** | कीमत कटौती | रेंज | 0-10 | 0-10 | 0-10 | (0-10) |
| **9** | थाईलैंड से पहुंच | रु./मी. टन | 94445 | 167368 | 188231 | 159046 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कीमत | | | | | |
| **10** | निवल बिक्री कीमत | रु./मी. टन | **** | **** | **** | **** |
| **11** | निवल बिक्री कीमत | सूचीबद्ध | 100 | 163 | 169 | 126 |
| **12** | कीमत कटौती | रु./मी. टन | **** | **** | **** | **** |
| **13** | कीमत कटौती | सूचीबद्ध | 100 | 89 | 11 | -95 |
| **14** | कीमत कटौती | % | **** | **** | **** | **** |
| **15** | कीमत कटौती | सूचीबद्ध | 100 | 50 | 6 | -56 |
| **16** | कीमत कटौती | रेंज | 10-20 | 10-20 | 0-10 | (0-10) |
| **17** | संबद्ध देशों से पहुंच कीमत | रु./मी. टन | 109768 | 169703 | 188254 | 154394 |
| **18** | निवल बिक्री कीमत | रु./मी. टन | **** | **** | **** | **** |
| **19** | निवल बिक्री कीमत | सूचीबद्ध | 100 | 163 | 169 | 126 |
| **20** | कीमत कटौती | रु./मी. टन | **** | **** | **** | **** |
| **21** | कीमत कटौती | सूचीबद्ध | 100 | 509 | 75 | -464 |
| **22** | कीमत कटौती | % | **** | **** | **** | **** |
| **23** | कीमत कटौती | सूचीबद्ध | 100 | 329 | 44 | -330 |
| **24** | कीमत कटौती | रेंज | 0-10 | 0-10 | 0-10 | (0-10) |

65. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीओआई के दौरान संबद्ध देशों से आयात कटौती ऋणात्मक रही है। इसके अलावा, मैं. टोयोटा त्शुसो थाईलैंड कंपनी लिमिटेड के संबंधित आयातक द्वारा दायर उत्तर से यह भी नोट किया गया है कि वे स्वतंत्र ग्राहक को *** रुपए/ मी.टन पर संबद्ध वस्तुओं की पुन: बिक्री कर रहे हैं। वानहुआ ग्रुप के संबंधित आयातक ने संबद्ध वस्तुओं हानि पर संबद्ध वस्तुओं की पुनः बिक्री की है और उनकी पुन: बिक्री की निवल बिक्री आय लगभग *** रुपए/ मी. टन है। बाजार में पुनः बिक्री की ये कीमतें स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की पुन: बिक्री कीमतें पहुंच कीमतों की तुलना में निम्न हैं और इसलिए, आयात आंकड़ों पर आधारित कीमत कटौती विश्लेषण घरेलू उद्योग की सही स्थिति को परिलक्षित नहीं करता। सहयोगी निर्यातकों की पुर्न बिक्री कीमत पर आधारित कीमत कटौती निम्नानुसार है:

| **क्र. सं.** | **विवरण** | **यूनिट** | **वानहुआ ग्रुप** | **जी. सी. पोलीयोल** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | पहुंच कीमत | रु./ मी.टन | **** | **** |
| | पहुंच कीमत | सूचीबद्ध | 100 | 100 |
| 2 | निवल बिक्री कीमत | रु./ मी.टन | **** | **** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | निवल बिक्री कीमत | सूचीबद्ध | 100 | 100 |
| 4 | कीमत कटौती | रु./ मी.टन | **** | **** |
| 5 | कीमत कटौती | सूचीबद्ध | 100 | 100 |
| 6 | कीमत कटौती | % | **** | **** |
| 7 | कीमत कटौती | सूचीबद्ध | 100 | 100 |
| 8 | कीमत कटौती | रेंज | 10-20 | 0-10 |

66. उपर्युक्त सारणी से, यह स्पष्ट है कि जांच की अवधि के दौरान कीमत कटौती सहयोगी निर्यातकों द्वारा बाजार में पुन: बिक्री कीमतों की कमीशन (फैक्टरिंग) के बाद सकारात्मक हैं।

**ख. कीमतों ह्रास/न्यूनीकरण**

67. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों में ह्रास अथवा न्यूनीकरण कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव एक उल्लेखनीय मात्रा तक कीमतों में कमी कर रहा है अथवी कीमतों में वृद्धि को रोक रहा है जो अन्यथा महत्वपूर्ण सीमा तक बढ़ गई होती। प्राधिकारी ने क्षति अवधि में लागतों और कीमतों में परिवर्तनों पर विचार किया है।

| **क्र. सं.** | **विवरण** | **युनिट** | **2019-20** | **2020-21** | **2021-22** | **पीओआई** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बिक्रियों की लागत | रु./मी. टन | **** | **** | **** | **** |
| 2 | प्रवृति | सूचीबद्ध | 100 | 92 | 156 | 141 |
| 3 | बिक्री कीमत | रु./मी. टन | **** | **** | **** | **** |
| 4 | प्रवृति | सूचीबद्ध | 100 | 163 | 169 | 126 |
| 5 | संबद्ध देशों से पहुंच कीमत | रु./मी. टन | **** | **** | **** | **** |
| 6 | प्रवृति | सूचीबद्ध | 100 | 155 | 172 | 141 |

68. उपर्युक्त सारणी से यह भी नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत में 41 सूचीबद्ध बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जबकि बिक्री कीमत में पहुंच मूल्य से कम कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं की बिक्री द्वारा निर्यातकों के संबंधित आयातकों द्वारा डाले गए दबाव के कारण केवल 26 सूचीबद्ध बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग के पास अपनी कीमतों को पहुंच मूल्य से भिन्न रखने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था।

## झ.1.5. घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मापदंड

69. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में उन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में नियमावली में यह भी उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा।

70. तदनुसार, घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक मापदंडों का यहां नीचे विश्लेषण किया गया है:

### क. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा

| क्र. सं. | विवरण | यूओओम | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | पीओआई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | क्षमता | मी.टन | **** | **** | **** | **** |
| 2 | प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 91 | 91 | 91 |
| 3 | कुल उत्पादन-पोलीयोल | मी.टन | **** | **** | **** | **** |
| 4 | प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 105 | 101 | 98 |
| 5 | क्षमता उपयोग- कुल पॉलीयोल उत्पादन | % | **** | **** | **** | **** |
| 6 | प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 117 | 112 | 109 |
| 7 | उत्पादन-एफएसपी | मी.टन | **** | **** | **** | **** |
| 8 | प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 105 | 98 | 90 |
| 9 | घरेलू बिक्री मात्रा- पीयूसी | मी.टन | **** | **** | **** | **** |
| 10 | प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 110 | 99 | 90 |

71. उपर्युक्त सारणी से यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग पीओआई के दौरान क्षमता में मामूली कमी के बावजूद क्षमता उपयोग के ***% पर प्रचालन कर रहा है। यह भी नोट किया गया कि यह क्षमता सभी प्रकार के पॉलीयोल के लिए है जिसमें संबद्ध वस्तुएं (एफएसपी) और असंबद्ध उत्पाद भी शामिल हैं। इस संदर्भ में, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के पास अभी भी लगभग ***% अप्रयुक्त क्षमता मौजूद है जिनका संबद्ध वस्तुओं को उत्पादित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। घरेलू उद्योग ने यह भी निवेदन किया है कि केवल पाटित आयातों के कारण ही वे अपनी क्षमता का उपयोग करने में असमर्थ हैं। विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री मात्रा ने भारत में मांग में वृद्धि के बावजूद वर्ष 2019-20 की तुलना में पीओआई के दौरान गिरावट दर्शायी है।

72. यह भी नोट किया जाता है कि वर्ष 2015 के बाद से, घरेलू उद्योग ने आयातित प्रोपेलीन ऑक्साइड (पीओ) पर अपनी निर्भरता में कमी की है। पीओआई के दौरान, उसने एफएसपी के लिए आयातित पीओ का प्रयोग नहीं किया है जिसने उद्योग को अपनी लागत कम करने में सहायता की है। इस सुविधा ने न केवल संबद्ध वस्तुओं की लागत में कमी की है बल्कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रमुख कच्चे माल की लगातार आपूर्ति को भी सुनिश्चित किया है।

**ख. मांग में बाजार हिस्सा**

73. घरेलू उद्योग की वृद्धि को नीचे दर्शाया गया है:

| **क्र. सं.** | **विवरण** | **यूओओम** | **2019-20** | **2020-21** | **2021-22** | **पीओआई** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **कुल मांग** | **मी.टन** | 100 | 78 | 102 | 108 |
| 2 | मांग में हिस्सा | % | | | | |
| 3 | घरेलू उद्योग | % | 100 | 140 | 97 | 83 |
| 4 | चीन जन.गण. | % | 100 | 121 | 98 | 402 |
| 5 | थाइलैंड | % | 100 | 2,687 | 9,193 | 7,367 |
| 6 | संबद्ध देश | % | 100 | 242 | 530 | 731 |
| 8 | अन्य देश | % | 100 | 85 | 83 | 79 |
| 9 | कुल आयात | % | 100 | 91 | 101 | 104 |

74. उपर्युक्त सारणी से, यह नोट किया जाता है कि कुल मांग में संबद्ध देशों से आयातों के बाजार हिस्से में आधार वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है, इसी अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।

### ग. लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ

75. घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता, निवेश पर आय और नकद लाभ/हानि स्थिति को नीचे दर्शाया गया है:

| क्र. सं. | विवरण | युनिट | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | पीओआई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बिक्रियों की लागत | रु./ मी.टन | **** | **** | **** | **** |
| 2 | प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 92 | 156 | 141 |
| 3 | बिक्री कीमत | रु./ मी.टन | **** | **** | **** | **** |
| 4 | प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 163 | 169 | 126 |
| 5 | लाभ/हानि | रु./ मी.टन | **** | **** | **** | **** |
| 6 | प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | -100 | 166 | -109 | -196 |
| 7 | लाभ/हानि | **लाख रु.** | **** | **** | **** | **** |
| 8 | प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | -100 | 182 | -107 | -176 |
| 9 | पीबीआईटी | लाख रु. | **** | **** | **** | **** |
| 10 | प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | -100 | 191 | -107 | -178 |
| 11 | नकद लाभ | लाख रू. | **** | **** | **** | **** |
| 12 | प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | -100 | 217 | -110 | -186 |
| 13 | आरओसीई | % | **** | **** | **** | **** |
| 14 | प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | -100 | 82 | -37 | -78 |

76. उपर्युक्त सारणी से, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग बिक्रियों की लागत से कम पर संबद्ध वस्तुओं की बिक्री कर रहा है। घरेलू उद्योग ने स्वीकार किया है कि निर्यातकों के संबंधित आयातक बिक्री-पश्चात छूटें देकर अथवा हानियां उठा कर पहुंच मूल्य से कम पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं।

### घ. माल सूची

77. घरेलू उद्योग के पास माल सूची निम्नानुसार है:

| क्र. सं. | विवरण | यूओओम | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | पीओआई |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अथ शेष | मी.टन | 100 | 135 | 71 | 68 |
| 2 | अंत शेष | मी. टन | 100 | 53 | 36 | 97 |
| 3 | औसत | मी.टन | 100 | 88 | 51 | 85 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 135 | 71 | 68 |

78. उपर्युक्त से यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग की औसत माल सूची में गिरावट आई है। हालांकि, इसमें तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष अर्थात 2021-22 की तुलना में वृद्धि हुई है।

**ड. रोजगार और उत्पादकता**

79. रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नानुसार है:

| **क्र. सं.** | **विवरण** | **यूओओम** | **2019-20** | **2020-21** | **2021-22** | **पीओआई** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | दैनिक उत्पादकता | मी.टन/ दिन | **** | **** | **** | **** |
| 2 | प्रवृत्ति | मी. टन | 100 | 105 | 98 | 90 |
| 3 | रोजगार (संख्या) | संख्या | **** | **** | **** | **** |
| 4 | प्रवृत्ति | सूचीबद्ध | 100 | 100 | 100 | 100 |

80. जबकि रोजगार ने 2019-20 और POI के बीच एक स्थिर प्रवृत्ति का संकेत दिया, घरेलू उद्योग की उत्पादकता उसी मोड़ पर रही।

**च. पाटन की मात्रा**

81. जैसा कि पूर्ववर्ती पैराओं में कहा गया है, प्राधिकारी ने पीओआई के दौरान सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का आकलन किया है। सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए संबद्ध देशों से पीओआई के दौरान पाटन न्यूनतम स्तरों से अधिक रहा है और महत्वपूर्ण है।

**छ. पूंजीगत निवेश जुटाने की क्षमता**

82. क्षेत्र में भावी निवेश संबद्ध देशों से पाटित आयातों की उपस्थिति द्वारा बिगाड़ा गया है। ऋणात्मक लाभप्रदता और ऋणात्मक नकद लाभ सहित निवेश पर आय इंगित करते है कि इस क्षेत्र के लिए पूंजी जुटाने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण खतरे में पड़ गई है।

**ज. वृद्धि**

83. अधिकतर कीमत संबंधी मापदंडों के लिए घरेलू उद्योग की वृद्धि लगातार ऋणात्मक रही है। घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है निर्यातकों की ओर से लगातार दबाव ने घरेलू उद्योग की स्थिति को बहुत जोखिम में डाल दिया है।

### झ.1.6. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

84. जांच संकेत करती है कि संबद्ध वस्तुओं के लिए भारत में मांग घरेलू उद्योग की वृद्धि को सीमित करने वाला कारक नहीं है। संबद्ध देशों से आयात कीमतें घरेलू बाजार की कीमतों को सीधे प्रभावित कर रही हैं। यह भी नोट किया गया है कि संबद्ध वस्तुओं का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमतों से नीचे हैं। इसके अलावा, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमतों ने घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास किया है। संबद्ध देशों के अलावा अन्य देशों तथा जिन देशों में पहले से ही पाटन रोधी शुल्कों को लागू किया गया है, से विचाराधीन उत्पाद का आयात नगण्य है और उनसे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचने का दावा नहीं किया गया है। इस उद्योग में उत्पाद की मांग में गिरावट नहीं आई है, और इसलिए, यह घरेलू उद्योग द्वारा सामना किए जा रहे कीमत ह्रास के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है। अतः, घरेलू उद्योग पर विपरीत प्रभाव डालने वाला मुख्य कारक संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की समायोजित पहुंच कीमतें हैं।

### झ.1.7. महत्वपूर्ण क्षति का विश्लेषण

85. आयातों के मात्रा और कीमत प्रभावों सहित क्षति के विभिन्न पैरामीटरों की जांच यह प्रकट करती है कि कुल रूप में, साथ ही देश में कुल आयातों, घरेलू उत्पादन और कुल मांग के संबंध में, क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है। कीमत प्रभाव के संबंध में, यह नोट किया गया है कि प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से कीमत कटौती इस तथ्य के कारण ऋणात्मक है कि संबद्ध देशों से पुन: बिक्री कीमत पहुंच मूल्य से कम है। इसलिए, आयात आंकड़ों में दर्ज आयात कीमत भारतीय बाजार में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की वास्तविक अभिभावी कीमत को नहीं दिखा रही हैं और आयात आंकड़ों के आधार पर कीमत विश्लेषण का मामले पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि यह सही संख्या का परावर्तक नहीं है। यह नोट किया गया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमतों ने घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत को दबाव डाला है और परिणाम स्वरूप, घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत से कम कीमत पर संबद्ध वस्तुओं की बिक्री कर रहा है। घरेलू उद्योग पर मात्रा और कीमत प्रभाव के संबंध में, यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग की बिक्रियां और बाजार हिस्सा विपरीत रूप

से प्रभावित हुआ है। यह भी नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग की बिक्रियां, उत्पादन और क्षमता उपयोग में मांग में वृद्धि के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई है और घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग उप-इष्टतम बना हुआ है। इसके अतिरिक्त, यह भी नोट किया गया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

**झ.1.8. क्षति मार्जिन की मात्रा**

86. घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत (एनआईपी) को निर्धारित किया गया है और इसकी कीमत से बिक्री की सीमा तक पहुंचने के लिए संबद्ध वस्तुओं के पहुंच मूल्य (डीजीसीआई एंड एस के अनुसार) के साथ तुलना की गई है। विचाराधीन उत्पाद के एनआईपी को नियमावली के अनुबंध III में उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाने के द्वारा निर्धारित किया गया है। विश्लेषण दर्शाता है कि जांच की अवधि के दौरान, संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी कीमत से निम्न था, जैसा कि ऊपर दी गई सारणी से देखा जा सकता है, जो सकारात्मक कीमत से कम कीमत पर बिक्री प्रभाव को प्रदर्शित करती है।

87. उपर्युक्त सारणी से, यह नोट किया गया है कि संबद्ध देशों से पीओआई के दौरान कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस तथ्य के कारण कि निर्यातक विषय वस्तु को उच्च मूल्य पर बेच रहे हैं और उनके संबंधित आयातक विषय वस्तु को कम मूल्य पर दोबारा बेच रहे हैं, क्षति मार्जिन की मात्रा नीचे दी गई तालिका में दिखाई गई है:

| | | **एनआईपी** | **पहुँच मूल्य** | **क्षति मार्जिन** | **क्षति मार्जिन %** | **क्षति मार्जिन रेंज** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| देश | उत्पादक | (अमरीकी डॉलर मी. टन) | (अमरीकी डॉलर मी. टन) | (अमरीकी डॉलर मी. टन) | % | |
| चीन | वानहुआ केमिकल ग्रुप | **** | **** | **** | **** | 30-40 |
| | अन्य | **** | **** | **** | **** | 30-40 |
| थाइलैंड | जीसी पॉलीयोल | **** | **** | **** | **** | 20-30 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | अन्य उत्पादक | **** | **** | **** | **** | 20-30 |

88. यह नोट किया गया है कि पीओआई के दौरान क्षति मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण रहा है।

**झ.1.9. अन्य ज्ञात कारक एवं कारणात्मक संबंध**

89. महत्वपूर्ण क्षति की विद्यमानता, इसकी कम कीमत पर बिक्री और कीमत ह्रास तथा कीमत न्यूनीकरण के संदर्भ में, घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के मात्रा और कीमत प्रभावों की जांच करने, यह देखने के लिए कि क्या पाटित आयातों के अलावा, किसी अन्य कारक ने घरेलू उद्योग की क्षति में योगदान दिया है, पाटनरोधी व्यवस्था पर भारतीय नियमावली और समझौते के तहत सूचीबद्ध अन्य संकेतात्मक पैरामीटरों की प्राधिकारी द्वारा जांच की गई है।

**क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमतें**

90. उन देशों के अतिरिक्त, जहां पहले से ही पाटन रोधी शुल्क लागू हैं, अन्य स्रोतों से आयात या तो न्यूनतम स्तर से नीचे हैं या पहले से ही शुल्क के अधीन हैं अथवा संवीक्षा के अधीन हैं।

**ख. मांग का संकुचन और खपत के पैटर्न में परिवर्तन**

91. पूरी क्षति अवधि के दैरान संबंधित उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है।

**ग. विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियां और उनके बीच प्रतिस्पर्धा**

92. कोई व्यापार प्रतिबंधित पद्धति नहीं है।

**घ. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन**

93. प्राधिकारी द्वारा क्षति संबंधी विश्लेषण केवल उनके घरेलू प्रचालनों को ध्यान में रख कर किया गया है।

94. प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की विद्यमानता के बारे में किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

**ड. उत्पादकता**

95. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

96. अतः प्राधिकारी यह निष्कर्ष देते हैं कि घरेलू उद्योग के संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण क्षति का सामना करना पड़ा है।

## झ.1.10. कारणात्मक संबंध पर प्राधिकारी द्वारा विश्लेषण

97. अतः यह नोट किया गया कि सूचीबद्ध किए गए अन्य ज्ञात कारक यह नहीं दर्शाते कि घरेलू उद्योग इन अन्य कारणों से क्षति झेल सकता है। प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या उत्पाद के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

क. पूरी क्षति अवधि में भारत में कुल रूप में तथा भारत में उत्पादन और खपत, दोनों के संबंध में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात में वृद्धि हुई है।

ख. संबद्ध देशों के पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग के महत्वपूर्ण बाजार हिस्से पर कब्जा कर लिया है। वास्तव में, संबद्ध देशों से पाटित आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि के कारण पीओआई में कुल मांग में घरेलू उद्योग के हिस्से में कमी हुई है।

ग. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से कीमत कटौती इस तथ्य के कारण ऋणात्मक है कि संबद्ध देशों से निर्यातक उच्च कीमत पर भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करते हैं और उनके संबंधित पक्षकार संबद्ध वस्तुओं की हानि पर पुन: बिक्री करतें हैं। इसलिए, आयात आंकड़ों में दर्ज की गई आयात कीमत भारतीय बाजार में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की वास्तविक अभिभावी कीमत को नहीं दिखाता। यह नोट किया गया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत ने घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में ह्रास किया है और परिणाम स्वरूप, घरेलू उद्योग अपनी बिक्री की लागत से निम्न कीमत पर संबद्ध वस्तुओं की बिक्री कर रहा है।

घ. घरेलू उद्योग पर मात्रा और कीमत प्रभाव के प्रभाव के संबंध में, यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री और बाजार हिस्से पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

ड. अतः, संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि सहित कम कीमत पर बिक्री के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग में लाभों, नकदी प्रवाह और निवेशों पर आय में महत्वपूर्ण ह्रास आया है।

**ञ. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे**

98. प्राधिकारी का मानना है कि पाटनरोधी शुल्कों को लागू करने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तरों को प्रभावित कर सकतें हैं। हालांकि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपायों को लागू करने से कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटन रोधी उपायों को लागू करना पाटन पद्धतियों द्वारा प्राप्त किए गए अनुचित लाभों को समाप्त करेगा, घरेलू उत्पादकों की गिरावट को रोकेगा और संबद्ध वस्तुओं के ग्राहकों को व्यापक पसंद की उपलब्धता को बनाए रखने में सहायता करेगा। सामान्य तौर पर पाटनरोधी शुल्कों का प्रयोजन, भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति को पुनः स्थापित करने के लिए है, जो देश के सामान्य हित में है, पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपायों को लागू कराना किसी भी प्रकार से संबद्ध देशों से आयातों को प्रतिबंधित नहीं करेगा और इस प्रकार ग्राहकों को उत्पाद की उपलब्धता को प्रभावित नहीं करेगा।

99. प्राधिकारी से इस पर विचार किया हैं कि क्या एडीडी को लागू करने से उल्लेखनीय विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस प्रोयजन हेतु, प्राधिकारी ने रिकार्ड पर उपलब्ध घरेलू उद्योग, अन्य घरेलू उत्पादकों, आयातकों और उत्पाद के ग्राहकों सहित विभिन्न पक्षकारों के हितों से संबंधित सूचना की जांच की।

100. प्राधिकारी ने आयातकों, ग्राहकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचारों को आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने उनके प्रचालनों पर एडीडी के संभावित प्रभाव सहित वर्तमान जांच से संबंधित संगत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए ग्राहकों के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की। प्राधिकारी में अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न देशों से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की परस्पर विनिमयशीलता, स्रोतों को बदलने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता, ग्राहकों पर एडीडी का प्रभाव, कारक जो एडीडी को लागू करने से उत्पन्न नई स्थिति के प्रति समायोजन को त्वरित या विलंब कर सकते हैं, के संबंध में सूचना की मांग की।

101. रिकार्ड पर उपलब्ध आंकड़ों से, यह प्रस्तुत किया जाता है कि, पाटन रोधी शुल्कों को

लागू करने से प्रयोक्ता उद्योग साथ ही जनता पर अत्यधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। घरेलू उद्योग का दावा है कि अंतिम प्रयोक्ताओं पर शुल्कों का प्रभाव नगण्य होगा और उन पर प्रभाव नहीं डालेगा, इस मत को कोई विपरीत आंकड़े / साक्ष्य उपलब्ध कराने के द्वारा किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। तथापि, शुल्कों को लागू किया जाना संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों को वैध सुरक्षा प्रदान करेगा। घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई गणना के अनुसार, वर्तमान पाटनरोधी शुल्कों का फोम विनिर्माताओं पर लगभग % असर होगा जो किसी भी मानक से गैर-महत्वपूर्ण है।

| **विवरण** | **यूओएम** | **आरईएफ** | **मूल्य** |
|---|---|---|---|
| दोहरे गद्दे का मानक आकार 7x48x6 इंच होता है (1.83x1.22x0.15 मी.) 32 कि.ग्रा/ 3 मी. घनत्व वाले फोम के लिए, गद्दे का वजन इसके लगभग होगा | कि.ग्रा | क | 10.6 |
| उपर्युक्त गद्दे की कीमत (क) | रु./ अद्द | ख | 20,000 |
| प्रयुक्त फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलीयोल (एफएसपी) | कि.ग्रा. | ग | 6 |
| एफएसपी की वर्तमान बाजार कीमत | रु./ कि.ग्रा. | घ | **** |
| गद्दों में एफएसपी की लागत | कि.ग्रा. | ड.=ग*घ | 720 |
| चीन पर अनुशंसित पाटनरोधी शुल्क | % | च | 32.08% |
| फोम विनिर्माताओं पर एडीडी की अतिरिक्त मात्रा | रु./ कि. ग्रा. | छ=ड.*च | 230.976 |
| फोम विनिर्माताओं पर एडीडी का प्रभाव | % | ज+छ/ख | **1.15%** |
| थाईलैंड पर अनुशंसित पाटनरोधी शुल्क | % | च | 27.21% |
| फोम विनिर्माताओं पर एडीडी की अतिरिक्त मात्रा | रु./ कि.ग्रा. | छ=ड.*च | 195.912 |
| फोम विनिर्माताओं पर एडीडी का प्रभाव | % | ज+छ/ख | **0.98%** |

102. उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि चीन जन.गण. पर 32% और थाइलैंड पर 27.21% के अनुशंसित शुल्क का प्रयोक्ता उद्योग पर महत्वहीन प्रभाव पड़ा है। तथापि, ये शुल्क संबद्ध देशों से पाटित और क्षतिकारक आयातों से घरेलू उद्योग को सुरक्षा प्रदान करेंगे।

## ट. <u>प्रकटीकरण पश्चात टिप्पणियां</u>

103. प्राधिकारी ने दिनांक 14.02.2024 को जांच में विचाराधीन अनिवार्य तथ्यों को करते हुए एक प्रकटीकरण विवरण जारी किया। प्रकटीकरण विवरण के अधिकांश मुद्दे पहले ही उठाए जा चुके हैं और आगे उचित रूप से संबोधित किए जाएंगे। संगत समझी गई सीमा तक अतिरिक्त निवेदनों की यहां नीचे जांच की गई है:

**ट.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध:**

104. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. घरेलू उद्योग ने यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है कि निर्यातक एंटी-डंपिंग शुल्क से बचने के लिए टियर बेस बदल रहे हैं। दूसरे, घरेलू उद्योग ऐसे निर्यातकों के समूह की पहचान करने में विफल रहा है जो इस तरह के व्यवहार में लिप्त हैं।

ख. यह आयात मांग और आपूर्ति के अंतर के मुद्दों के कारण हो रहा है, न कि निर्यातकों के आधार बदलने के कारण।

ग. एडीडी लगाने से घरेलू उद्योग की एकाधिकारवादी स्थिति भी मजबूत होगी क्योंकि यह भारत में समान वस्तु का एकमात्र घरेलू उत्पादक है।

घ. जब घरेलू बिक्री की तुलना संबद्ध देशों से प्राप्त मूल्य से की जाती है तो नकारात्मक मूल्य कटौती होती है। इसके अलावा, निर्यातकों के डेटा के आधार पर कटौती कानून के साथ-साथ प्राधिकरण के लगातार अभ्यास के तहत स्वीकार्य नहीं है। इसके अलावा, दो निर्यातकों के डेटा की जांच से अन्य निर्यातकों की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है।

ङ. प्राधिकरण ने क्षमता उपयोग संख्या को गोपनीय रखा है जबकि यह सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है और इसलिए, प्राधिकरण को अंतिम निष्कर्षों में क्षमता उपयोग की संख्या देनी चाहिए।

च. इच्छुक पार्टियों द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि उत्पाद मिश्रण में बार-बार बदलाव के कारण, घरेलू उद्योग पॉलीओल डिवीजन में 100% हासिल नहीं कर सकता है। इसलिए, 100% उपयोग प्राप्त करना मिथक है, वास्तविकता नहीं।

छ. जांच की अवधि में प्रदर्शन में गिरावट शुल्क की सिफारिश करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि घरेलू उद्योग ने ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में मजबूत वृद्धि दर्ज की थी।

ज. निर्यातकों द्वारा बिक्री के बाद छूट की पेशकश के बावजूद, घरेलू उद्योग ने 2020-21 में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है, इससे पता चलता है कि बिक्री के बाद मूल्य छूट का घरेलू उद्योग के प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

झ. घरेलू उद्योग को हुई क्षति और डंप किए गए आयात के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। भारत में ऊंची लागत के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है ।

ञ. आवेदक ने सूर्यास्त समीक्षा के लिए अपने पहले आवेदन में भौतिक क्षति की अनुपस्थिति को स्वीकार किया था, जिसे उन्होंने वापस लेकर समाप्त कर दिया था और प्राधिकरण, एडी नियमों के नियम 14 के तहत उक्त समीक्षा जांच को पूरा करने के बजाय गलती से समाप्त करके आवेदक की शरारत का शिकार हो गया था। जांच की गई और यह निष्कर्ष निकाला गया कि कोई चोट नहीं लगी और चोट की पुनरावृत्ति की कोई संभावना नहीं है, जो उस मामले के तथ्यों से स्पष्ट था।

ट. डीआई की सीमित उत्पादन क्षमता और दक्षिण में चेन्नई में उनका स्थान, उन्हें केवल भारत के दक्षिणी भाग में उपयोगकर्ताओं को आपूर्ति करने के लिए मजबूर करता है। वे भारत के पश्चिमी, उत्तर और पूर्वी हिस्सों में उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं। ऐसा होने पर, भारत के अन्य हिस्सों में स्थित एफएसपी के उपयोगकर्ता काफी हद तक आयात पर निर्भर हैं और आयात के सभी स्रोतों पर व्यावहारिक रूप से एंटीडंपिंग शुल्क के लंबे समय तक लगाए जाने से गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं।

ठ. प्रकटीकरण विवरण में प्राधिकरण द्वारा उपयोग किया गया डेटा घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए गए डेटा से भिन्न है। इसके मद्देनजर, निर्यातकों ने प्राधिकरण से इसकी दोबारा जांच करने का अनुरोध किया है ।

ड. प्राधिकरण ने निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए प्राधिकरण द्वारा उपयोग किए गए लेनदेन-वार आयात डेटा प्रदान नहीं किया है।

ढ. थाईलैंड से मूल सीमा शुल्क शून्य है और एंटी-डंपिंग शुल्क लगाना शून्य बीसीडी की भावना के खिलाफ होगा ।

ण. यह कि निर्यातक द्वारा दावा की गई उत्पादन लागत और प्राधिकारी द्वारा प्रकटीकरण विवरण में प्रयुक्त सामान्य मूल्य अलग-अलग हैं। इसके मद्देनजर, निर्यातक ने प्राधिकरण से उनके दावा किए गए सीओपी और सामान्य मूल्य का उपयोग करने का अनुरोध किया है।

त. प्राधिकरण को घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए लागत डेटा की दोबारा जांच करनी चाहिए। इसके अलावा, निर्यातकों ने 2021-22 में COVID 19 के प्रभाव, संयंत्र बंद होने और उनके द्वारा भुगतान किए गए मुआवजे को उचित रूप से समायोजित करने का अनुरोध किया है।

थ. वानहुआ समूह और शेष चीन का क्षति मार्जिन समान नहीं हो सकता है, मैनुअल के अनुसार, चीन के अन्य उत्पादकों के लिए क्षति मार्जिन अधिक होना चाहिए।

द. घरेलू उत्पादक पुरानी और अप्रचलित तकनीक का उपयोग करता है, जिसका पैमाना बेहद अलाभकारी है, पिछड़े एकीकरण का अभाव है, और कच्चे माल की आपूर्ति की बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे यह एक अक्षम उत्पादक बन जाता है।

ध. प्राधिकरण द्वारा घरेलू उद्योग को दिया गया 22% रिटर्न अनुचित है और इसका उपयोग तत्काल जांच में नहीं किया जाना चाहिए।

न. घरेलू उद्योग एंटी-डंपिंग शुल्क का लगातार और आदतन उपयोगकर्ता है।

**ट.2. घरेलू उद्योग की प्रस्तुतियाँ**

105. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

क. निर्यातकों ने प्राधिकरण को भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान नहीं की है और इसके बावजूद प्राधिकरण ने उनकी प्रतिक्रियाओं को अस्वीकार करने के बजाय, उन्हें व्यक्तिगत शुल्क देकर पुरस्कृत करने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा, आवश्यक जानकारी पर गोपनीयता ने घरेलू उद्योग को उस पर टिप्पणी करने और सही निष्कर्ष तक पहुंचने में प्राधिकरण की सहायता करने के अधिकार से वंचित कर दिया है। घरेलू उद्योग ने निर्यातकों के साथ उनकी प्रतिक्रियाओं को पूरा करने के संबंध में सभी पत्राचार की प्रतियों का भी अनुरोध किया।

ख. डंप और हानिकारक आयातों से सुरक्षा मिलने के बाद घरेलू उद्योग ने आयातित प्रोपलीन ऑक्साइड पर अपनी निर्भरता कम कर दी है और जांच की अवधि के दौरान उन्होंने बाजार से एक भी टन पीओ का आयात नहीं किया है। स्वदेशी पीओ के उपभोग से घरेलू उद्योग को अपनी लागत कम करने और बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद मिली।

ग. तथ्य यह है कि संबंधित आयातक संबद्ध वस्तुओं को पहुंच मूल्य से कम कीमत पर बेच रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग पर निर्यातकों द्वारा डाले गए दबाव को इंगित करता है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि केवल इस मूल्य दबाव के कारण, संबद्ध वस्तु के एकमात्र अन्य उत्पादक ने पॉलीओल के अन्य ग्रेड का उत्पादन करने के लिए अपनी सुविधा को संशोधित किया, क्योंकि संबद्ध वस्तु में वे बहु-राष्ट्रीय कंपनियों के मूल्य निर्धारण के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ थे।

घ. घरेलू उद्योग क्षमता उपयोग के 65% पर काम कर रहा है, इसका मतलब है कि अभी भी 35% का उपयोग संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। यह तथ्य कि 35% क्षमता अप्रयुक्त है, स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि आयात कम मूल्य निर्धारण के कारण हो रहा है, न कि मांग और

आपूर्ति के अंतर के कारण। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि वे संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करते हुए 100% उपयोग प्राप्त कर सकते हैं।

ङ. आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता निम्नानुसार बढ़ाई है-

| वर्ष | 2009-10 | 2010-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|
| एमटी में क्षमता | 36000 | 50000 | 45265 | 45265 |

हालाँकि, आक्रामक डंपिंग और कीमत में कटौती और कम कीमत पर बिक्री के कारण, घरेलू उद्योग अपने इष्टतम स्तर पर क्षमता का उपयोग करने में सक्षम नहीं था और इसलिए, उन्होंने उसके बाद अतिरिक्त क्षमता नहीं जोड़ी है।

च. घरेलू उद्योग और निर्यातकों द्वारा उत्पादित उत्पाद की प्रौद्योगिकी और उसके बाद की गुणवत्ता में अंतर से संबंधित मुद्दों के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया है कि किसी भी निर्यातक ने यह मुद्दा नहीं उठाया है, वास्तव में उत्पादित अंतिम उत्पाद में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। दोनों प्रौद्योगिकियों में से। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि न तो प्रौद्योगिकी में अंतर और न ही कथित गुणवत्ता अंतर किसी उत्पाद के बहिष्कार या डंपिंग मार्जिन या क्षति विश्लेषण के प्रयोजनों के लिए आधार हो सकता है। आगे यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग बड़ी संख्या में ग्राहकों को संबद्ध वस्तुओं की आपूर्ति कर रहा है और उनकी गुणवत्ता सभी को स्वीकार्य है। किसी भी मामले में, किसी भी इच्छुक पक्ष ने अपने दावे को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा मौजूदा तकनीक के साथ उत्पादित सामान गुणवत्ता और अन्य तकनीकी मुद्दों के कारण उनके द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता है।

छ. यह प्रस्तुत किया गया है कि डंपिंग मार्जिन और क्षति मार्जिन न केवल सकारात्मक है बल्कि पर्याप्त भी है। इससे पता चलता है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से आयात के कारण नुकसान हो रहा है।

**ट.3. प्राधिकारी द्वारा जांच**

106. प्राधिकरण नोट करता है कि इच्छुक पार्टियों द्वारा उठाए गए अधिकांश अनुरोध दोहराए गए हैं और पहले ही यहां ऊपर संबोधित किया जा चुका है। हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोध, प्रासंगिक सीमा तक और अन्यत्र संबोधित नहीं किए गए हैं, नीचे जांच की गई है:

107. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों के सभी प्रतिसाद देने वाले निर्यातकों ने भारत को निर्यात से संबंधित पूरी जानकारी दाखिल कर दी है।

108. घरेलू उद्योग को 22% रिटर्न की अनुमति के अनुचित होने के संबंध में प्रस्तुतीकरण के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि घरेलू उद्योग को रिटर्न की अनुमति नियमों के अनुबंध-III के साथ-साथ प्राधिकरण के निरंतर अभ्यास के अनुसार दी गई है।

109. घरेलू उद्योग द्वारा दाखिल किए गए डेटा की सत्यता के बारे में इच्छुक पार्टियों द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं के अनुसार, यह नोट किया गया है कि प्राधिकरण ने जांच के दौरान सत्यापित डेटा पर भरोसा किया है और केवल ऐसे सत्यापित डेटा का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जाता है। यह अंतिम निष्कर्ष है और इसलिए, किसी भी इच्छुक पक्ष पर कोई पूर्वाग्रह नहीं है।

110. जहां तक थाईलैंड से बीसीडी शून्य होने के संबंध में प्रस्तुतीकरण का संबंध है, प्राधिकरण नोट करता है कि एंटी-डंपिंग कानून का उद्देश्य और उद्देश्य मुक्त व्यापार समझौतों से अलग है। केवल इसलिए कि किसी देश के साथ एफटीए है, यह डंपिंग की प्रथाओं को स्वीकार नहीं करता है जो आयात करने वाले देश के स्वदेशी उद्योग के लिए विनाशकारी है।

111. जहां तक मांग और आपूर्ति के अंतर का संबंध है, यह नोट किया गया है कि एंटी-डंपिंग शुल्क का उद्देश्य भारत में आयात को प्रतिबंधित करना नहीं है, एंटी-डंपिंग शुल्क का एकमात्र उद्देश्य घरेलू उद्योग और भारत में माल विषय के अन्य आपूर्तिकर्ताओं/उपयोगकर्ताओं के लिए बाजार में समान अवसर पैदा करना है। आगे यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग अपने उत्पाद को बेचने के लिए संबद्ध देशों के निर्यातकों से कीमत दबाव में था। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के पास अभी भी अप्रयुक्त क्षमता है, जो इंगित करता है कि निर्यातकों द्वारा बनाए गए मूल्य दबाव के कारण घरेलू उद्योग अपना उत्पादन और बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में सक्षम नहीं था।

112. जहां तक आयात डेटा के संबंध में इच्छुक पार्टियों के तर्कों का संबंध है, यह नोट किया गया है कि प्राधिकरण ने आयात डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया पहले ही निर्धारित कर दी है। हालाँकि, किसी भी इच्छुक पक्ष ने निर्धारित प्रारूप में आयात डेटा के लिए कोई अनुरोध नहीं किया।

113. जहां तक चोट की अनुपस्थिति से संबंधित प्रस्तुतियों का संबंध है, इस जांच में उचित स्थान पर पहले ही इसका निपटारा किया जा चुका है।

114. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद की प्रौद्योगिकी और उसके बाद की गुणवत्ता में अंतर से संबंधित मुद्दों के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि न तो प्रौद्योगिकी में अंतर और न ही कथित गुणवत्ता अंतर किसी भी उत्पाद को बाहर करने का आधार हो सकता है। या तो डंपिंग मार्जिन या क्षति विश्लेषण के उद्देश्य। आगे यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग बड़ी संख्या में ग्राहकों को संबद्ध वस्तुओं की आपूर्ति कर रहा है और उनकी गुणवत्ता सभी को स्वीकार्य है। किसी भी मामले में, किसी भी इच्छुक पक्ष ने अपने दावे को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा मौजूदा तकनीक के साथ उत्पादित सामान गुणवत्ता और अन्य तकनीकी मुद्दों के कारण उनके द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसलिए, प्राधिकरण का मानना है कि जब तक उत्पाद तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं, तब तक विभिन्न प्रौद्योगिकियां प्राधिकरण के किसी भी निष्कर्ष का आधार नहीं बन सकती हैं।

115. प्राधिकरण आगे नोट करता है कि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का विश्लेषण एडी नियमों के अनुबंध II के अनुसार क्षति मापदंडों के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण के आधार पर किया गया है। इसके अलावा, इच्छुक पार्टियों द्वारा उठाई गई सभी चिंताओं को इन अंतिम निष्कर्षों के प्रासंगिक स्थानों पर पहले से ही विस्तार से बताया गया है।

116. जहां तक कारण संबंध की अनुपस्थिति से संबंधित प्रस्तुतियों का संबंध है, इस निष्कर्ष में पहले ही उचित स्थान पर इसका निपटारा किया जा चुका है।

## ठ. <u>निष्कर्ष और सिफारिशें</u>

117. जैसा कि ऊपर दर्ज किया गया है, प्राधिकरण के समक्ष उठाए गए तर्कों, प्रस्तुतियों,

प्रदान की गई जानकारी और उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और डंपिंग और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण यह निष्कर्ष निकालता है कि:

क. विचाराधीन उत्पाद को सामान्य मूल्य से कम कीमत पर भारत में निर्यात किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप डंपिंग हुई है।

ख. संबद्ध वस्तुओं की डंपिंग ने घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचाया है। संबद्ध आयातों की जांच और घरेलू उद्योग के प्रदर्शन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि पूर्ण और सापेक्ष रूप में संबद्ध आयात की मात्रा ऊंची बनी हुई है। आयात की कीमत घरेलू उद्योग की लक्षित कीमतों से कम है, जिससे कीमत में गिरावट आती है। मौजूदा कीमतों पर, घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है और वह अपनी परिवर्तनीय लागतों को कवर करने में सक्षम नहीं होगा। निर्यातकों के संबंधित आयातकों द्वारा पेश की गई आक्रामक कीमतों के कारण घरेलू उद्योग अपनी क्षमता का उपयोग अपने इष्टतम स्तर तक नहीं कर पाया है। इसके अलावा, देशों में उत्पाद की महत्वपूर्ण मांग के बावजूद, घरेलू उद्योग अपने द्वारा उत्पादित सीमित सीमा तक भी बेचने में सक्षम नहीं है, और उसे महत्वपूर्ण इन्वेंट्री का सामना करना पड़ा है। घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण वितीय नुकसान और निवेश पर नकारात्मक रिटर्न का सामना करना पड़ रहा है।

ग. संबद्ध देशों से क्षति मार्जिन काफी सकारात्मक है।

घ. रिकॉर्ड पर मौजूद जानकारी से पता चलता है कि एंटी-डंपिंग शुल्क न लगाने से स्वदेशी उत्पादन पर प्रतिकूल और भौतिक प्रभाव पड़ेगा, जबकि एंटी- डंपिंग शुल्क लगाने से उपभोक्ताओं या डाउनस्ट्रीम उद्योग या बड़े पैमाने पर जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ङ. हितबद्ध पक्ष द्वारा प्रदान की गई जानकारी और की गई जांच के आधार पर, प्राधिकरण का मानना है कि एंटी-डंपिंग शुल्क लगाना सार्वजनिक हित के खिलाफ नहीं होगा।

118. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच आरंभ की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातक, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलू पर सकारात्मक सूचना उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। पाटन रोधी नियमावली के तहत निर्धारित किए गए प्रावधानों के संदर्भ में पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध से संबंधित जांच आरंभ करने और आयोजित करने के बाद, प्राधिकारी का मत है कि पाटन और परिणामी क्षति के प्रभाव को दूर करने के लिए पाटनरोधी शुल्क को

लागू किया जाना जरूरी है। प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटन रोधी शुल्क को लागू के जाने की सिफारिश करना अनिवार्य समझते हैं।

119. कम शुल्क नियम का पालन करने के संबंध में, प्राधिकरण डंपिंग के मार्जिन और क्षति के मार्जिन के बराबर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश करता है ताकि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकरण केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से विषयगत देशों में उत्पादित या निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर कॉलम 7 में शुल्क तालिका नीचे संलग्न उल्लिखित राशि के बराबर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश करता है। इस उद्देश्य के लिए आयात का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित मूल्यांकन योग्य मूल्य होगा और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3, 3 ए, 8 बी, 9 ए के तहत लगाए गए कर्तव्यों को छोड़कर सीमा शुल्क का लागू स्तर होगा।

**शुल्क तालिका**

| **क्र. सं.** | **शीर्षक** | **विवरण** | **उद्गम देश** | **निर्यात का देश** | **निर्माता** | **शुल्क की राशि** | **इकाई** | **मुद्रा** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | 3907.20<br>3907.91<br>3907.99 | फ्लैक्सीबल स्लैब स्टॉक पोलीओल आणविक भार 3000-4000 का पॉलीओल | चीन जन.गण. | चीन जन.गण. | वानहुआ केमिकल ग्रुप | 534 | मीट्रिक टन | यूएसडी |
| 2 | -वही - | -वही - | **चीन जन.गण.** | कोई | क्रमांक 1 के अलावा कोई अन्य | 608 | मीट्रिक टन | यूएसडी |
| 3 | -वही - | -वही - | कोई | **चीन जन.गण.** | कोई | 608 | मीट्रिक टन | यूएसडी |
| 4 | -वही - | -वही - | थाईलैंड | थाईलैंड | जीसी | 470 | मीट्रिक | यूएसडी |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | पॉलीओल्स कंपनी लिमिटेड | | टन | |
| 5 | -वही - | -वही - | थाईलैंड | कोई | क्रमांक 4 के अलावा कोई अन्य | 480 | मीट्रिक टन | यूएसडी |
| 6 | -वही - | -वही - | कोई | थाईलैंड | कोई | 480 | मीट्रिक टन | यूएसडी |

120. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए आयात का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के तहत सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित मूल्यांकन योग्य मूल्य होगा और इसमें धारा 3, 8 बी, 9, 9 ए के तहत कर्तव्यों को छोड़कर सभी सीमा शुल्क शामिल हैं। उक्त अधिनियम.

**ड. <u>आगे की प्रक्रिया</u>**

121. इस अंतिम निष्कर्ष में नामित प्राधिकारी के इस निर्धारण/समीक्षा के खिलाफ अपील अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

**(अनन्त स्वरूप)**
**निर्दिष्ट प्राधिकारी**